संविधान

आखिर मैंने यह संविधान क्यों लिखा

प्रस्तावना

आखिर मैंने यह संविधान क्यों लिखा

मैंने यह संविधान इसलिए लिखा क्योंकि अब इसे बिना लिखे मैं रह नहीं सकता। लगभग 35 वर्ष पूर्व मैंने भारत के संविधान का अध्ययन किया था और इससे कतई सन्तुष्ट नहीं हुआ था, बल्कि इसने मुझे अत्याधिक निराश किया था। हमारे देश के महान नेताओं की देशभक्ति पर मुझे पूर्ण विश्वास था परन्तु मैं बड़े असजस में था कि कैसे हमारे नेताओं ने ऐसा संविधान बनाया जो हमारे देश को निश्चय ही पतन के गर्त में ले जाएगा। सरसरी तौर पर पहली बार पढ़ते ही मैं पूरी तरह विश्वस्त हो चुका था कि इस संविधान का अंजाम सम्पत्ति और राजनैतिक शक्तियों के केन्द्रीकरण, गरीबों, गाँवों व जनसाधारण के शोषण, गरीबी व बेरोजगारी की वृद्धि, नौकरशाही की निरंकुशता तथा लोगों की सर्वविधि कष्ट व निस्सहाय: अवस्था ही होगा।

तभी से मेरे मन में यह अवधारणा बैठी कि किसी को एक पूर्णतः नया संविधान लिखना चाहिए जो गाँधीजी के विचारों के अनुसार हो। पिछले 50 वर्षों में सर्वसाधारण ने भ्रष्टाचार, लोकापवाद, केन्द्रीकरण, सत्ता व शक्ति के दुरुपयोग और बढ़ती हुई सामाजिक विषमताओं आदि के अहितों का अनुभव किया है। और यह सब हुआ है दोषपूर्ण संविधान के कारण। परन्तु आश्चर्यजनक और खेदपूर्ण बात तो यह है कि इतने कुछ के बावजूद किसी गाँधीवादी विचारक, नेता या किसी प्रशासनिक या न्यायिक अमले से जुडे व्यक्तित्व ने कोई आदर्श या वैकल्पिक संविधान लिखने का कोई प्रयास भी नहीं किया है। कम से कम मेरी दृष्टि में तो नहीं। वस्तुतः एक अरब से भी अधिक जनसंख्या वाले इस वृहद् देश में निश्चित तौर पर ऐसे सैकडों नये, आदर्श या वैकल्पिक संविधान अब तक अस्तित्व में आ जाने चाहिए थे। बहरहाल, मैंने यह सोचा ही नहीं था कि मुझको कभी संविधान का प्रारूप तैयार करना पड़ेगा। समय के साथ देश में घटने वाली घटनाओं का मैं समीक्षण व अवलोकन करता गया और धीरे–धीरे मेरी इस धारणा को बल मिलता गया कि सार्वजनिक जीवन और राजनीति में व्याप्त इन बुराइयों का मूल कारण हमारा दोषपूर्ण संविधान ही है। मैं इस बात की जरूरत को महसूस करता गया कि किसी को एक पूर्णतः नया संविधान तैयार करना ही होगा। यह विचार मेरे मस्तिष्क में पिछले तीस वर्षों से पनपता रहा और सच्चे स्वराज के संविधान के रूप में प्रकट हुआ, ठीक उसी तरह जैसे अवधिपूर्ण कर चुका भ्रूण बालक के रूप में और प्रतीक्षा किये बगैर माता के गर्भ से स्वतः बाहर आ जाता है।

किन ध्ययों के साथ मैंने इस संविधान को लिखा है

इस संविधान का प्रारूप बनाते हुए मैंने निम्नलिखित बिन्दुओं को सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव सतर्कता बरती है–

1) जन्म के अधिकार को सुरक्षित किया जाए और सम्पूर्ण भारतवर्ष में इसका दृढ़ता से पालन हो।
2) इस महान देश की जनता को बिना किसी प्रकार के शोषण के भय रहित और खुशहाल जीवन यापन की समग्र स्वतन्त्रता व स्वाधीनता हो।
3) इस महान देश की जनता बिना किसी प्रकार के सरकारी उत्पीड़न के भय से मुक्त हो कर जीवन यापन कर सके।
4) राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण सत्ता के अन्तिम स्तर तक हो और 5 लाख ग्राम वास्तविक सम्प्रभुता सम्पन्न हो सकें।
5) दमनकारी नौकरशाही का अन्त हो।
6) बड़े उद्योगों पर रोक लगाकर हर क्षेत्र में गृह तथा कुटीर उद्योगों का विकास हो जिससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान व गरीबी उन्मूलन हो सके।
7) बिना वैधानिक झमेले में पड़े स्थानीय न्याय पंच के सम्मति अनुसार वास्तविक न्याय किया जाय।
8) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के माध्यम से होने वाले अन्तरराष्ट्रीय षडयन्त्रकारियों के साजिशों से हमारा देश शोषित न हो और सुरक्षित रहे।

9) निर्वाचन की प्रक्रिया इस प्रकार की हो कि निर्वाचित प्रतिनिधि यथार्थतः जनता की आवाज व उसकी इच्छाओं का प्रतिनिधि हो।
10) निर्वाचन की प्रक्रिया ऐसी हो कि कोई भी बेईमान और चरित्रहीन व्यक्ति सत्ता के उच्चतर स्तर तक न पहुँच सके।
11) निर्वाचन प्रक्रिया ऐसी हो कि निर्वाचन खर्च कम से कम हो सके।
12) राजनीति देशसेवा के लिए ही है। अतः सेवाभाव व बलिदान की भावना से युक्त लोग ही राजनीति में रह सकें।
13) स्वार्थ व निजी लाभ के लिए राजनीति में उतरने वाले लोग कदापि सफल न हो सकें।
14) नही समझ आया
15) राजनैतिक हैसियत (प्रतिष्ठा) निजी लाभ का जरिया न बन सके।
16) सत्ता का दुरुपयोग करने वाले उसकी सजा से न बच सकें।
17) धनी और गरीब के मध्य की विषमता क्रमशः दूर होती जाय।
18) भारत के शहर 5 लाख गाँवों के खून चूसने वाले न बने रहें।
19) सरकारी खर्च नियत सीमा के भीतर ही कम से कम रखा जाय।
20) राजनीति, प्रशासन, व्यापार व उद्योग, न्यायपालिका, धर्म इत्यादि के निहित स्वार्थ अविलम्ब, फौरी तौर पर खत्म हों।
21) कर प्रणाली लोगों के शोषण का जरिया न बन सके।

उपरोक्त उद्देश्यों के साथ, मुझे महसूस होता है कि यह संविधान क्रान्तिकारी और भारत की जनता के लिए शुभकर होगा और निश्चित रूप में हमारे यहाँ सार्वजनिक जीवन में छायी हुई अधिकतर बुराइयों को हटाने में सक्षम होगा। मैंने संविधान की भाषा को सरल रखने की ओर पर्याप्त ध्यान रखा है और जटिल कानूनी शब्दावली व भाषा का साभिप्राय परिहार (परित्याग) किया है।

मेरी सीमाएं

कथंचि मैं अपनी सीमाओं से भिज्ञ हूँ। मैं इस संविधान के समग्र और दोषरहित होने का दावा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, अतः उसके द्वारा प्रतिपादित कार्य भी पूर्णतः दोषमुक्त नहीं हो सकते। मेरी भी सीमाएं हैं। जो मेरी दृष्टि में हैं वे निम्नवत् हैं।

1) मुझे कानूनी या न्यायिक वृत्ति या व्यवहार का कोई अनुभव नहीं है। मैं एक यान्त्रिक अभियन्ता हूँ और जीवन के ज्यादातर समय में मैंने प्रौद्योगिकी पर ही कार्य किया है।
2) इस संविधान को मैं शान्तिपूर्वक और व्यवहारिक अनुसन्धान करके नहीं लिख पाया हूँ। अपने अनेक व्यवहारिक, व्यवसायिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए बीच–बीच में कुछ घण्टों का समय निकाल कर किसी प्रकरण पर लिखता तो फिर 1–2 माह उपरान्त ही फिर इस कार्य पर लग पाता। अतः यह अविराम और जल्दी में किया गया कार्य ही है।
3) मैं संविधानों का विशेषज्ञ कतई नहीं हूँ। मैंने किसी भी देश के संविधान का अध्ययन नहीं किया है सिवाय भारत के संविधान के वह भी मात्र एक बार ही। इस सारी सीमाओं के साथ यह स्वाभाविक है कि मेरे द्वारा लिखा गया संविधान अनेक प्रकार से अपूर्ण होगा और इसमें अनेक त्रुटियाँ भी होंगी। पर मुझे यकीन है कि इसकी दिशा सही है। अभी या बाद में, भारत को खुशहाल होना है, असली स्वराज का आनन्द लेना है, नौकरशाही को वर्तमान गुलामी से आजादी पानी है, जन–सामान्य की गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन करना है तो यह वास्तविक स्वराज का संविधान अवश्यंभावी है। अतः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह भारत की जनता को विशेषकर पढ़ी लिखी जनता को इस संविधान की सार्थकता को समझने के लिए प्रेरित करे। मैंने इस संविधान से आने वाले क्रान्तिकारी बदलावों व समाज में पड़ने वाले उनके प्रभावों का वर्णन प्रस्ताव के अन्त में 'इस संविधान के लागू होने पर, नामक विशेष अनुच्छेद में करने का प्रयास किया है। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए मैं आभारी रहूँगा और उनका स्वागत करूँगा।

गाँधीजी का वास्तविक स्वराज

* 'स्वराज' एक पवित्र शब्द है, एक वैदिक शब्द जिसका अर्थ स्व–शासन और स्वसंयम है, स्वच्छन्दता व स्वेच्छाचारिता कदापि नहीं जो अर्थ अक्सर'इण्डिपेण्डेन्स' का हो जाता है।
* स्व–राज्य का अर्थ है सरकारी नियन्त्रण से मुक्त होने का अनवरत प्रयास, फिर वह नियन्त्रण चाहे विदेशी सरकार का हो या राष्ट्रीय सरकार का।
* ग्राम स्वराज की मेरी विचारधारा के अनुसार ग्राम अपने आप में पूर्ण गणतन्त्र हों, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अपने पड़ोसियों पर कदापि आश्रित न हों, किन्तु कई अनेक आवश्यकताओं के लिए अन्तराश्रित हों जिनमें पराश्रय एक जरूरत हों।
* मुट्ठी भर लोगों द्वारा अधिकार के अभिग्रहण से सच्चे स्वराज की प्राप्ति नहीं होगी, वरन् सारे लोगों द्वारा अधिकार के दुरुपयोग का विरोध करने की क्षमता हासिल करने पर ही होगी। दूसरे शब्दों में, सामान्यजन को सत्ता के अधिकार को नियमित व नियन्त्रित करने की उनकी क्षमता के प्रति जागृत करके ही स्वराज की प्राप्ति होगी।
* जिस तरह प्रत्येक राष्ट्र, खाने पीने और श्वास लेने की योग्यता रखता है। उसी तरह प्रत्येक राष्ट्र अपने कार्यकलापों के संचालन की भी क्षमता रखता है, चाहे वह जैसे भी हो।
* पूर्ण स्वराज के बारे में कोई गलतफहमी न रहे.....इसका अर्थ है करोड़ों मेहनतकश लोगों के लिए के बीच किसी भी प्रकार का गठबन्धन नहीं।
* यदि भारत को अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो इसे अनेक क्षेत्रों का विकेन्द्रीकरण करना होगा। केन्द्रीकरण को सँभालना (पोषित करना) और उसकी रक्षा करना पर्याप्त ताकत (सुरक्षा व्यवस्था) के बिना सम्भव नहीं।
* पूर्णतः सज्जित थल, जल व वायु सेना द्वारा रक्षित शहरी स्तर पर संगठित भारत की अपेक्षा ग्राम्य स्तर में संगठित भारत को विदेशी आक्रमण का खतरा कम रहेगा।
केन्द्रीकृत व्यवस्था और समाज की अहिंसक संरचना का सामंजस्य बिल्कुल नहीं बैठता।
* वास्तविक जनतन्त्र केन्द्र में आसीन कुछ–बीस व्यक्तियों द्वारा संचालित नहीं हो सकता। यह निचले स्तर पर प्रत्येक गाँव के लोगों द्वारा संचालित होना चाहिए।
* वर्तमान में सत्ता का केन्द्र नई दिल्ली, मुंबई या कलकत्ता में है, बड़े शहरों में है। इसको भारत के सात लाख गाँवों में फैला हुआ होना चाहिए।
* स्वतन्त्रता की शुरूआत नीचे से होनी चाहिए। इस तरह प्रत्येक ग्राम एक सम्पूर्ण सत्ताधिकारी गणराज्य या पंचायत होगा। अतः यह अनुगत होगा कि प्रत्येक गाँव स्व–पोषित पूर्णतः स्वावलम्बी होगा और आवश्यकता पड़ने पर विश्व के विरोध में भी अपनी रक्षा स्वयं कर सकने के हद तक अपने मामलों के प्रबन्धन में सक्षम होगा।
* पंचायत के पास जितने अधिकार होंगे उतना ही जनसामान्य के लिए बेहतर होगा।
* यदि सब लोग स्वावलम्बी हो जाते हैं तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी।
* गाँवों को भोजन, कपड़ा व अन्य आधारभूत आवश्यकताओं के लिए स्वावलम्बी होना आवश्यक है।
* यद्यपि हमारा ध्येय पूर्ण स्वावलम्बन है, तथापि हमें गाँव में उत्पादिन न हो सकने वाली वस्तुओं को गाँव के बाहर से लेना होगा।
* मेरा प्रयोजन ग्राम सरकार की एक रूपरेखा प्रस्तुत करना है। यहाँ व्यक्ति को स्वतन्त्रता पर आधारित परिपूर्ण जनतन्त्र है। व्यक्ति स्वयं ही अपने शासन व सरकार का शिल्पी है। वह और उसका शासन अहिंसा के नियमों द्वारा शासित है।

* दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए पर्याप्त कार्य (काम का अधिकार) पाने में हर कोई सक्षम हो। यह आदर्श सार्वभौमिक रूप से तभी साकार हो सकता है जब जीवन की भौतिक (प्रारम्भिक) आवश्यकताओं का उत्पादन जनसामान्य के नियन्त्रण में ही रहे।

* जन सामान्य की भयंकर गरीबी मुख्यतः आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में स्वदेशी से विनाशकारी भटकाव के कारण है।

* यहाँ वर्णित (परिभाषित, उल्लिखित) 'स्वदेशी' एक धर्मानुशासन है और व्यक्तियों को होने वाली भौतिक असुविधाओं की पूर्णतः अनदेखी कर इसका अनुपालन होना चाहिए।

* मैं जोर देकर कहूँगा कि स्वदेशी ही एक मात्र सिद्धान्त है जो विनम्रता और प्रेम के नियमों के साथ सुसंगत है।

खण्ड – 1
संघ व उसका राज्यक्षेत्र

अनुच्छेद 1.1

1) हमारा देश 'भारत' राज्यों का एक संघ होगा।

2) राज्य जिलों के संघ होंगे।

3) जिले गाँवों के संघ होंगे।

4) राज्य, जिले व उनके क्षेत्र इस अध्याय (खण्ड) में दिए हुए अनुसूची के निर्देशानुसार होंगे (यहाँ नहीं दिया गया है)

5) भारत का क्षेत्र (क) राज्यों के क्षेत्र (ख) संघीय क्षेत्र (यदि हों, तो) व महानगरों के क्षेत्र को समाविष्ट करेगा।

अनुच्छेद 1.2

नए राज्यों का समावेश या स्थापना

संसद कानून पारित कर नए राज्यों का संघ में समावेश या स्थापना कर सकती है ब शर्तें–

(1) प्रकल्पित नए राज्य के लोगों ने बहुमत से नए राज्य की स्थापना की माँग रखी हो।

(2) स्थापित होने वाले नए राज्य की जनसंख्या भारत के संघीय जनसंख्या की कम से कम 1 % हो।

खण्ड – 2
नागरिकता

अनुच्छेद 2.1 : भारत में जन्म लेकर यहाँ रहने वाला कोई भी भारत का नागरिक है।

अनुच्छेद 2.2 : कोई भी जिसके माता–पिता ने भारत में जन्म लिया हो और व कम से कम 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो।

अनुच्छेद 2.3 : भारत में 10 वर्षों से रहने वाला कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है।

खण्ड – 3
सरकारों पर प्रतिबन्ध

अनुच्छेद 3.1 : सम्पूर्ण सत्ता (अधिकार) जनसामान्य में निहित है।

सरकार के सारे अधिकारों की उत्पत्ति जनता से हैं जो कि जनता द्वारा सरकार को सौंपे गए हैं। अतः सरकार द्वारा लोगों के विरुद्ध किसी भी अधिकार का दुरुपयोग, अधिकार बाह्य व नियम विरुद्ध है।

अनुच्छेद 3.2 : हरेक सत्ता (अधिकरण) को इस खण्ड में उल्लिखित हरेक प्रावधान का अनुपालन करना होगा। किसी भी प्रावधान का उल्लंघन सम्बन्धित अधिकरण को अधिकार वंचित कर देगी (अयोग्य बना देगी)।

अनुच्छेद 3.3 : लोक सभा या विधायिका या जिला परिषदादि (अधिकरण) द्वारा पारित कोई भी अधिनियम या कानून तब तक लागू नहीं हो सकेगा जब तक सम्बन्धित ग्राम सभा उसे अपनी मंजूरी न दे दे।

अनुच्छेद 3.4 : कोई भी सरकार, सरकारी प्रशासन पर, जिसमें वेतन, परिवेतन सुविधाएँ, यात्रा व्यय, वाहन खर्च, कर्मचारी कल्याण व आवास भी समाविष्ट हैं, कर द्वारा होने वाले वार्षिक आय का 5 % से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेगी।

अनुच्छेद 3.5 : कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति या जनसेवक–नियुक्त या निर्वाचित – को सारे वेतन, परिवेतन आदि सब मिलाकर रु. 20,000 मासिक से ज्यादा कदापि नहीं देगी।

अनुच्छेद 3.6 : कोई भी सरकार भारत के 20 % सर्वाधिक गरीब व्यक्तियों की औसत आय से 100 गुना से ज्यादा कुल वेतन (सारे परिवेतनों के साथ) किसी व्यक्ति को नहीं देगी।
अनुच्छेद 3.7 : कोई सरकार एक बार में किसी भी कर्मचारी को 3 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त नहीं कर सकती।
अनुच्छेद 3.8 : कोई भी सरकार अपने कर्मचारियों के लिए संघीय सेवा या राज्य स्तरीय सेवा नहीं बना सकती है।
अनुच्छेद 3.9 : कोई भी सरकार कर्मचारी या जनसेवक को भविष्य निधि और पेंशन प्रदान नहीं कर सकती।
अनुच्छेद 3.10 : कोई भी सरकार सरकारी कर्मचारियों को आवास प्रदान करने की कोई योजना नहीं बना सकती है।
अनुच्छेद 3.11 : कोई भी सरकार विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए किसी भी प्रकार की योजना नहीं बना सकती है।
अनुच्छेद 3.12 : कोई भी सरकार कृषि उत्पाद या अन्य आधारभूत आवश्यकता की वस्तुओं के उत्पादन, क्रय और परिवहन पर किसी भी प्रकार का परोक्ष या प्रत्यक्ष कर नहीं लगा सकती है।
अनुच्छेद 3.13 : कोई भी सरकार दुनिया की किसी भी मुद्रा के सम्मुख भारत के 'रुपया' का अवमूल्यन नहीं कर सकती है।
अनुच्छेद 3.14 : कोई भी सरकार किसी भी विदेशी राष्ट्र या विदेशी संस्थान से किसी भी प्रकार का ऋण नहीं ले सकती है।
अनुच्छेद 3.15 : कोई भी सरकार खण्ड 5 में 'सरकार के लिए अनिवार्य समादेश' के विरोध में कोई कार्य नहीं कर सकती है।
अनुच्छेद 3.16 : कोई भी सरकार सम्बन्धित ग्राम सभा में निर्विरोध रुप से पारित हुए बिना किसी भी कृषियोग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकती है।
अनुच्छेद 3.17 : कोई भी सरकार सम्बन्धित ग्राम सभा के निर्विरोध रूप से स्पष्ट मंजूरी के बिना किसी भी गोचर भूमि, परती भूमि या वनभूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकती है।
अनुच्छेद 3.18 : कोई भी सरकार जन–जीवन पर दूरगामी परिणाम होने वाले किसी भी महत्त्वपूर्ण विषय में गुप्त मतदान द्वारा जनादेश प्राप्त किए बिना कोई निर्णय नहीं ले सकती।
अनुच्छेद 3.19 : कोई भी सरकार 80 % राज्यविधानसभाओं, लोक सभा, राष्ट्रीय न्याय सभा व उन सारे जिला पंचायतों, जो देश की 60 % जनता का प्रतिनिधित्व करते हों, के अनुमोदन के बिना किसी भी अन्तरराष्ट्रीय सन्धि पर दस्तखत नहीं कर सकती है।
अनुच्छेद 3.20 : कोई भी सरकार खण्ड 4 में वर्णित जन्मसिद्ध अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती है।
व्याख्या – (1) सरकार को शहरों में सम्पत्ति की उचित अधिकतम सीमा तय करने से कोई नहीं रोकेगा (2) गाँव में निवास न करने वाले जमीन मालिकों के जमीन का अधिग्रहण या उनके जमीन पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने से ग्राम सभा को कोई नहीं रोक सकेगा।
अनुच्छेद 3.21 : कोई भी केन्द्र या राज्य सरकार किसी भी व्यवसायिक संस्थान, जिनमें, बैंकिंग, बीमा व वित्तीय संस्थान भी शामिल हैं, के निगमन को अनुमति नहीं देखी।
अनुच्छेद 3.22 : कोई भी सरकार राज्यों के बहुमत, जो इस प्रकार से हो कि भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या के कम से कम 60 % का प्रतिनिधत्व करता हो, की स्पष्ट सहमति के बिना किसी भी विदेशी राष्ट्र के साथ कोई सन्धि या करार नहीं कर सकती है।
अनुच्छेद 3.23 : कोई भी सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जिससे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों या विदेशी विशालकाय कम्पनियों को निजी व्यवसायिक फायदे के लिए प्रसार माध्यमों का दुरुपयोग कर जनमत को प्रभावित करने में सुविधा हो।

अनुच्छेद 3.24 : कोई भी सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों या विशाल स्वदेशी कम्पनियों को प्रसार माध्यमों द्वारा अपने उत्पादों के विज्ञापन की अनुमति नहीं देगी और न ही इसकी स्वीकृति देगी।

अनुच्छेद 3.25 : कोई भी केन्द्र या राज्य सरकार किसी भी रूप में लाटरी (चिट्ठा) या इस प्रकार का कोई अन्य आयोजन न करेगी और न इसकी अनुमति देगी।

अनुच्छेद 3.26 : कोई सरकार किसी भी विदेशी बैंक को भारत में अपना या अन्य कोई व्यवसाय संचालित करने की अनुमति नहीं देगी।

अनुच्छेद 3.27 : कोई भी सरकार किसी भी विदेशी बीमा कम्पनी को भारत में अपना या अन्य कोई व्यवसाय संचालित करने की अनुमति नहीं देगी।

अनुच्छेद 3.28 : कोई भी सरकार लघु बीमा कम्पनियों के निबन्धन और संचालन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाएगी।

अनुच्छेद 3.29 : कोई भी सरकार किसी भी प्रकार के सट्टा या फाटका बाजार संचालन की अनुमति नहीं देगी।

अनुच्छेद 3.30 : कोई भी सरकार स्टॉक एक्सचेंज में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को या अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को अनुमति नहीं देगी।

अनुच्छेद 3.31 : कोई भी सरकार किसी भी आविष्कार या खोज में किसी भी प्रकार के एकावाधिकार (पेटेण्ट) की अनुमति नहीं देगी।

अनुच्छेद 3.32 : कोई भी सरकार भारत में विक्रय या निर्यात के लिए अफीम की खेती या उत्पादन की अनुमति नहीं देगी।

अनुच्छेद 3.33 : कोई भी सरकार किसी भी सिनेमादि के प्रदर्शन को अनुमति प्रदान नहीं करेगी, जब तक कि सम्बन्धित जिले की सक्षम और सुयोग्य महिला समिति द्वारा यह प्रमाणित न कर दिया जाए कि उसमें औरतों के प्रति कोई अपमानजनक दृश्य या टिप्पणी नहीं है और वह भारतीय संस्कृति पर कोई चोट नहीं करती है।

अनुच्छेद 3.34 : तम्बाकू और उसके द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों के प्रसार में कोई भी सरकार किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं देगी। (चिकित्सा उत्पादों को छोड़कर)

अनुच्छेद 3.35 : कोई भी सरकार न्यायालय की अवमानना को संज्ञेय अपराध नहीं मानेगी।

खण्ड – 4
जन्मसिद्ध अधिकार

अनुच्छेद 4.1 : पूरे संविधान में सरकार का अर्थ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कोई जिला पंचायत या जिला प्राधिकरण या नगर पालिका या तालुका पंचायत या कोई ग्राम प्राधिकरण या अन्य कोई प्राधिकरण या समिति जो उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा गठित की गई हो।

अनुच्छेद 4.2 : कोई भी सरकार इस खण्ड द्वारा प्रदत्त (निर्धारित) जन्म सिद्ध अधिकार का हरण या उसे किसी भी तर नियन्त्रित करने के लिए कोई कानून पारित नहीं कर सकती है। ऐसा कोई भी कानून निरर्थक और नाजायज माना जाएगा।

अनुच्छेद 4.3 : सारे मनुष्य स्वतन्त्र और समान अधिकार तथा गरिमा के साथ जन्म लेते हैं। वे विवेक और अन्तरात्मा से युक्त होते हैं। अतः हरेक मनुष्य को उसकी गरिमा व स्वतन्त्रता की रक्षा करने का जन्मसिद्ध अधिकार है।

अनुच्छेद 4.4 : सरकार भारतीय क्षेत्र के अन्दर किसी को भी कानून के सम्मुख बराबरी के हक से और कानूनी सुरक्षा से वंचित नहीं करेगी। प्रत्येक व्यक्ति को जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म तथा राजनैतिक या किसी अन्य विचारधारा व सम्पत्ति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के हरेक अधिकार और स्वतन्त्रता प्राप्य होगी।

अनुच्छेद 4.5 : प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन, स्वतन्त्रता तथा अपने परिजनों की सुरक्षा अक्षुण्ण रखने का जन्मसिद्ध अधिकार है। और हर किसी को अपने जीवन, स्वतन्त्रता व सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने के लिए सरकारी हस्तक्षेप के बिना किसी भी प्रकार के हथियार के स्वामित्व व उसके धारण का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 4.6 : हरेक किसान को, जो अपने पैतृक कृषि योग्य भूमि का स्वामी है, या उसके उसे पैतृक कृषि योग्य भूमि के आय द्वारा क्रय किये हुए कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व का जन्म सिद्ध अधिकार होगा। कोई सरकार उस कृषक की स्वैच्छिक मंजूरी के बिना किसी भी कारण से उसके कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकेगी।

अनुच्छेद 4.7 : गरिमा के साथ व स्वतन्त्र रूप से जीवन यापन हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार है। अतः कोई भी किसी प्रकार की यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार का भागी होगा।

अनुच्छेद 4.8 : संविधान द्वारा प्रदत्त जन्मसिद्ध अधिकारों के उल्लंघन होने पर प्रत्येक व्यक्ति को क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी व सक्षम न्यायपालिका (व्यवस्था) द्वारा प्रभावी समाधान या प्रतिकार प्राप्त करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 4.9 : किसी को भी मनमोन ढंग से गिरफ्तार, निरुद्ध या निष्कासित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 4.10 : किसी भी व्यक्ति की वैयक्तिक गोपनीयता, पारिवार, गृह या किसी भी प्रकार के पत्रकार व संवादिता पर मनमाना हस्तक्षेप नही होगा न ही किसी की प्रतिष्ठा व सम्मान पर किसी भी तरह का अभिक्रमण किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार के हस्तक्षेप या अभिक्रमण के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्राप्त है।

अनुच्छेद 4.11 : हरेक व्यक्ति को देश के अन्दर कहीं भी रहने–बसने का अधिकार है तथा कहीं भी जाने की निर्द्वन्द्व स्वतन्त्रता है।

अनुच्छेद 4.12 : हरेक व्यक्ति को वैयक्तिक रूप से औरों को साथ मिलकर सम्पत्ति के स्वामित्व का आधिकार है।

कोई भी अपनी सम्पत्ति से मनमोन ढंग से वंचित नहीं किया जाएगा। यद्यपि सरकार विषमता (असमानता) कम करने के लिए अधिकतम सीमा का निर्धारण कर सकती है।

अनुच्छेद 4.13 : हरेक व्यक्ति को वैचारिक स्वतन्त्रता, अन्तःकरण, धर्म व पूजा की स्वतन्त्रता का अधिकार होगा। इस अधिकार का यह अर्थ नहीं होगा कि सांसारिक लालच या पारलौकिक भय के द्वारा धर्मान्तरण करवाने की छूट होगी।

अनुच्छेद 4.14 : हरेक व्यक्ति को मत की (वैचारिक) व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता होगी। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना मत (विचार) को धारण करने की स्वतन्त्रता व किसी भी मध्यम से सूचना व विचारों की खोज, अनुसन्धान व आदान–प्रदान की स्वतन्त्रता अन्तर्निहित है। इसका यह अर्थ नहीं हं कि इस अधिकार को दुरुपयोग जानते–समझते हुए गलत सूचनाओं के आधार पर लोगों को बरगलाने के लिए या किसी गलत व बेईमानीपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाए।

अनुच्छेद 4.15 : हरेक व्यक्ति को शान्तिपूर्ण सभा या आयोजन का अधिकार होगा। किसी को किसी संस्था, परिषदादि में जुड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 4.16 : हरेक व्यक्ति को सीधे तौर पर या स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से देश की सरकार में भाग लेने का अधिकार है।

अनुच्छेद 4.17 : राष्ट्र में हरेक व्यक्ति को 'लोकसेवा' तक पहुँच का बराबरी का अधिकार है।

अनुच्छेद 4.18 : जन–इच्छा ही सरकारी सत्ता का आधार होगी जो कि ज्वलन्त व विशिष्ट मसलों पर समय–समय पर किए गए प्रामाणिक जनमत संग्रह द्वारा अभिव्यक्त होगी, जो समान व सार्वदेशिक मतदान से होगा व यह गुप्त मतदान या उसके समतुल्य मत संग्रह विधि के आधार पर होगा ।

अनुच्छेद 4.19 : हरेक व्यक्ति को किसी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप के बिना व्यवसाय के स्वतन्त्र चुनाव का, उद्योग, उत्पादन, तिजारत, रोजगार, न्यायसंगत व अनुकूल कार्य परिस्थितियों का अधिकार है।

अनुच्छेद 4.20 : कार्य करने वाले हरेक व्यक्ति को उचित व अनुकूल पारिश्रमिक पाने का अधिकार है जिससे वह अपनी व अपने परिवार का मानव गरिमा के योग्य जीवन अस्तित्व सुनिश्चित कर सके।

अनुच्छेद 4.21 : हरेक व्यक्ति को अपने समाज व सम्प्रदाय के सांस्कृतिक जीवनचर्या में स्वतन्त्रतापूर्वक भाग लेने का, इसकी कलाओं का आनन्द उठाने का व इसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों में हिस्सा लेने का तथा इसके लाभों के उपभोग का अधिकार है।

अनुच्छेद 4.22 : गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को यथाशीघ्र उसकी गिरफ्तारी का कारण बताए बगैर विरुद्ध नहीं किया जा सकेगा और न ही उसको अपनी इच्छानुरूप किसी भी विधिवेत्ता की सलाह लेने से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 4.23 : गिरफ्तार व हिरासत में विरुद्ध किए गए हरेक व्यक्ति को निकटतम दण्डाधिकारी के स्थान से दण्डाधिकारी की अदालत तक की यात्रा के समय को छोड़कर 12 घण्टों के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और दण्डाधिकारी के आदेश के बगैर किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त अवधि से अधिक समय तक विरुद्ध नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 4.24 : किसी भी निहित स्वार्थ की सिद्धि के लिए जन्मसिद्ध अधिकरों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकेगा।

अध्याय–5
सरकारों के लिए आवश्यक निर्देश

अनुच्छेद 5.1 : राज्य का अर्थ केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत से है।

अनुच्छेद 5.2 : इस अध्याय में समाविष्ट व्यवस्थाओं को कोई भी न्यायपालिका (ग्राम न्याय पंच, तालुका न्याय पंच, जिला न्याय समिति, राज्य न्याय परिषद, या राष्ट्रीय न्याय सभा) लागू कर सकेगी।

अनुच्छेद 5.3 : राज्य, आय में असमानता को कम करने का प्रयास करेगा ताकि अल्पतम आय और अधिकतम आय के मध्य अनुपात 1:100 से अधिक न हो।

अनुच्छेद 5.4 : राज्य ग्रामीण व शहरी जनसंख्या (जनों) को समान सुविधाएँ व समान अवसर सुनिश्चित करेंगे।

अनुच्छेद 5.5 : राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि गौ और गोवंश का वध पूर्णतः प्रतिबन्धित हों

अनुच्छेद 5.6 : यह प्रतिबन्ध सम्पूर्ण देश में तात्कालिक रूप से व बिना किसी अपवाद या छिद्र के कड़ाई से लागू किया जाएगा।

अनुच्छेद 5.7 : राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो जिससे सम्पदा व उत्पादन के माध्यमों का केन्द्रीकरण न हो पाए जिससे सर्वसाधारण का अहित न हो सके।

अनुच्छेद 5.8 : राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक नागरिक को उच्चतम स्तर तक निःशुल्क कानूनी सहायता व निःशुल्क न्याय मिल सके।

अनुच्छेद 5.9 : राज्य लोभ, लालच से या बलपूर्वक कराए जाने वाले धर्मान्तरण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएगा।

अनुच्छेद 5.10 : राज्य लोभ, लालच या बलपूर्वक धर्मान्तरण कराए जाने पर कठोर दण्ड का प्रावधान करेगा।
अनुच्छेद 5.11 : राज्य सम्पूर्ण भारत भूमि पर नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करेगा।
अनुच्छेद 5.12 : राज्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए नौकरशाही से सम्पूर्ण मुक्ति सुनिश्चित करेगा।
अनुच्छेद 5.13 : राज्य सम्पूर्ण भारत वर्ष में सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण सुनिश्चित करेगा।
अनुच्छेद 5.14 : राज्य भ्रष्टाचार, लोकनिधि के गबन, कुत्सित उद्देश्य के लिए लोकनिधि के दुरुपयोग और घोटालों के विरुद्ध कठोर दण्ड सुनिश्चित करेगा।
अनुच्छेद 5.15 : राज्य सम्पूर्ण भारत में न्यायपालिका के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता सुनिश्चित करेगा।
अनुच्छेद 5.16 : राज्य प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यकता आधारित शिक्षा मुहैय्या कराएगा जिससे वे स्वरोजगार द्वारा अपनी आजीविका चलाने में सक्षम हो सके।
अनुच्छेद 5.17 : राज्य स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों से बड़ी एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अनुकूल बनाए गए पाठ्यक्रमों को हटाने का कार्य सुनिश्चित करेगा।
अनुच्छेद 5.18 : राज्य पूरे देश में माध्यमिक स्तर पर आयुर्वेद की शिक्षा को अपरिहार्य करेगा।
अनुच्छेद 5.19 : राज्य मानुष्यों व पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले खाद, कीटनाशकों एवं औषधियों के उत्पादन, विपणन और विक्रय पर प्रतिबन्ध सुनिश्चित करेगा।
अनुच्छेद 5.20 : राज्य परम्परागत व देशी बीजों की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा व जैविक कृषि को प्रोत्साहित करेगा।
अनुच्छेद 5.21 : राज्य प्रशासन के कार्यो व सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध सुनिश्चित करेगा।
अनुच्छेद 5.22 : राज्य प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों पर प्रतिबन्ध लगाएगा।
अनुच्छेद 5.23 : राज्य समाज के विभिन्न वर्गों को उनके आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक विकास के लिए तथा उनकी स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए सामुदायिक रेडियो व दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना हेतु पूर्ण स्वतन्त्रता सुनिश्चित करेगा।
अनुच्छेद 5.24 : राज्य किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा 100 कि. वा. तक के नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन, विपणन व विक्रय पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा व इसके लिए लोग पूर्णतः मुक्त व स्वतन्त्र रहेंगे।

अध्याय –6
ग्राम्य प्रशासन की संरचना

अनुच्छेद 6.1 : हर गाँव में एक ग्रामसभा होगी जो गाँव के 18 वर्ष से ऊपर के सभी पंजीकृत मतदाताओं से बनी होगी। सारी शक्तियाँ इसी ग्रामसभा में निहित होंगी। समय–समय पर मतदाता सूची में संशोधन के साथ ग्रामसभा स्थायी व शाश्वत होगी।
अनुच्छेद 6.2 : हरेक गाँव में ग्राम न्याय पंच होगा।
अनुच्छेद 6.3 : हर महीने ग्रामसभा की बैठक होगी। परन्तु 5 % पंजीकृत मतदाताओं के द्वारा लिखित दिए जाने पर तीन दिन की सूचना देकर ग्रामसभा का कभी भी आह्वान किया जा सकता है।
अनुच्छेद 6.4 : प्रत्येक वर्ष ग्रामसभा के विशेष अधिवेशन में प्रत्येक पंजीकृत मतदाता गुप्त व लिखित मतदान के द्वारा (1) सरपंच (2) ग्राम प्रतिनिधि व (3) न्याय पंच प्रमुख के पदों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1–1 नाम सुझाएगा।

अनुच्छेद 6.5 : किसी विशेष पद के लिए गुप्त मतदान में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पदासीन होने के लिए निवेदन किया जाएगा, बशर्ते वह स्वीकार करे। ग्रामसभा द्वारा स्वीकृति के लिए
उसके नाम की घोषणा की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो उसे अपनी आपत्ति रखने के लिए निमन्त्रित किया जाएगा। यदि कोई तथ्यगत और यथार्थपरक आपत्ति नहीं आती है तो उस व्यक्ति को पद विशेष के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा, बशर्ते वह उस पद के लिए आवश्यक अर्हता पूर्ण करता हो।

अनुच्छेद 6.6 : यदि कोई सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस पद विशेष में आरूढ़ न होकर अन्य पद की वाच्छा रखता हो तो, अन्य पदों के लिए सर्वाधिक मतों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से आपस में मिल बैठकर पदों के वितरण के प्रश्न को आपस में सुलझाने का निवेदन किया जाएगा।

अनुच्छेद 6.7 : कोई भी व्यक्ति सरपंच, ग्राम प्रतिनिधि या न्याय पंच प्रमुख के पद के लिए निर्वाचित नहीं होगा जब तक ग्रामसभा के 80 % से ज्यादा मतदाता बहुमत से उसकी स्वीकृति नहीं करते।

अनुच्छेद 6.8 : सरपंच या ग्राम प्रतिनिधि की कार्यावधि ग्रामसभा के इच्छानुसार व एक वर्ष से ज्यादा नहीं होगी। और वह उसके विरुद्ध वापस बुलावो प्रस्ताव पास होने पर तत्काल अपने पद का त्याग करेगा।

अनुच्छेद 6.9 : न्याय पंच प्रमुख की कार्यावधि तीन वर्ष की होगी जब तक भी ग्रामसभा के 80 % मतदाताओं द्वारा उसके विरुद्ध वापस बुलाओ प्रस्ताव पास नहीं कर दिया जाता।

अनुच्छेद 6.10 : सरपंच या ग्राम प्रतिनिधि के विरुद्ध वापस बुलाओ प्रस्ताव ग्रामसभा द्वारा कभी भी साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 6.11 : कोई भी व्यक्ति सरपंच, ग्राम प्रतिनिधि या न्याय पंच प्रमुख निर्वाचन के लिए तभी अर्ह होंगे जब (1) वह भारत का नागरिक हो, (2) वह अठारह वर्ष पूरे कर चुका हो, (3) वह धूम्रपान, गुटखा, पान, सुर्ती, शराब, जुआ व अन्य ऐसी व्यसनों से मुक्त हो, (4) वह अपने व अपने परिवार के सदस्यों की सम्पत्ति के ब्यौरे की सर्वसाधारण के समक्ष घोषणा करे। और उसके द्वारा गैरकानूनी तरीकों से सम्पत्ति अर्जित करने के विषय में कोई विरोध न हो। (5) उसे किसी भी अपराध के लिए सजा न मिली हो। (6) वह उच्च नैतिक चरित्र का स्वामी हो। (7) उसे बारहवीं तक की माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हो (जिन जगहों पर शिक्षा की कमी हो, वहाँ ग्रामसभा इस अर्हता में ढील दे सकती है)। (8) उसने महात्मा गाँधी की आत्मकथा पढ़ी हो।

अनुच्छेद 6.12 : सरपंच, ग्राम प्रतिनिधि और न्याय पंच प्रमुख अपने निर्वाचन के तत्काल उपरान्त संयुक्त रूप से सम्मति से ग्राम पंचायत के सदस्यों को नामित करेंगे। इन सदस्यों की संख्या कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 होगी।

अनुच्छेद 6.13 : अनुच्छेद 6.12 के अनुसार किया गया मनोनयन ग्रामसभा में स्वीकृत न होने की स्थिति में स्वतः निरस्त हो जाएगा।

अनुच्छेद 6.14 : सरपंच, ग्राम प्रतिनिधि और न्याय पंच प्रमुख द्वारा किसी भी व्यक्ति को तब तक मनोनीत नहीं किया जा सकता जब तक वह सरपंच के लिए आवश्यक अर्हता पूर्ण न करता हो।

अनुच्छेद 6.15 : अनुच्छेद 6.12 के शर्तों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में ग्राम जनसंख्या के आधार पर कम से कम प्रति 1000 व्यक्तियों में एक सदस्य का मनोनयन होगा।

अनुच्छेद 6.16 : ग्राम पंचायत ग्रामसभा के निर्देशों के आधार पर कार्यपालिका व और कार्यान्वयन अंग के रूप में कार्य करेगी।

अनुच्छेद 6.17 : ग्राम सूची से सम्बन्धित विषयों के लिए ग्राम पंचायत निर्विरोध मनोनयन द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न समितियों को नियुक्त कर सकेगी। ऐसी समितियों के 50 % की सदस्यता महिलाओं की होगी। इस प्रकार नियुक्त की गई समितियाँ स्वतः निरस्त हो जाएँगी, अगर आगामी ग्रामसभा के मासिक अधिवेशन में इसको स्वीकृति न मिले।

अनुच्छेद 6.18 : महिलाओं से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बन्धित विषयों पर स्थापित किसी भी समिति की सभी सदस्य महिलाएं होंगी। यद्यपि महिलाएं चाहें तो सर्वसम्मति से एक या दो पुरुष सदस्यों को सहयोजित कर सकती हैं।

अनुच्छेद 6.19 : ग्राम पंचायत की 50 % सदस्य महिलाएं होंगी।
अनुच्छेद 6.20 : गाँव के बाहर ग्रामीण संगठन से बड़े किसी भी संगठन, उदाहरण के लिए तालुका या जिला पंचायत के चुनावों में ग्राम प्रतिनिधि ही गाँव की ग्रामसभा का प्रतिनिधित्व करेगा।
अनुच्छेद 6.21 : न्याय पंच प्रमुख अपने निर्वाचन के तत्काल बाद ग्राम न्याय पंच के सदस्यों का मनोचयन करेगा। सदस्यों की कम से कम संख्या 5 होगी और अधिकतम 9 होगी जब गाँवों की जनसंख्या 5000 से ज्यादा होगी।
अनुच्छेद 6.22 : न्याय पंच प्रमुख किसी भी व्यक्ति को न्याय पंच के सदस्य के रूप में मनोनीत नहीं कर सकेगा जब तक वह सदस्य सरपंच के लिए निर्णीत अर्हता पूरी न करता हो।
अनुच्छेद 6.23 : न्याय पंच विभिन्न कार्यों, प्रकरण विशेषों, न्याय से सम्बन्धित मसलों के लिए सर्वसम्मति से विभिन्न समितियों का गठन कर सकती है। ऐसी समितियों के निर्णयों को न्याय पंच का निर्णय ही माना जाएगा।
अनुच्छेद 6.24 : न्याय पंच के पास यह अधिकार होगा कि वह विवादों का निपटारा करे, अपराधों के लिए अपराधियों को दण्ड अपने विवेकानुसार दे। न्याय पंच का इस प्रकार का कोई भी निर्णय तब तक लागू नहीं किया जा सकेगा जब तक वह सर्वसम्मति या 80 % बहुमत से न लिया गया हो।
अनुच्छेद 6.25 : ग्राम पंचायत के प्रशासन को संविधान की धाराओं के अनुसार पच्चालित करने की जिम्मेदारी न्याय पंच की होगी। जन्मसिद्ध अधिकारों के धन पर या संविधान की धाराओं के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति न्याय पंच के सम्मुख अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।

अध्याय – 7
तालुका प्रशासन की संरचना

अनुच्छेद 7.1 : हरेक तालुका में एक तालुका पच्चायत होगा जो तालुका के सभी निर्वाचित ग्राम प्रतिनिधियों से बना होगा।
अनुच्छेद 7.2 : तालुका पंचायत प्रत्येक माह को बैठेगी। परन्तु कम से कम 20% ग्राम प्रतिनिधियों द्वारा दूरसंचार से सारे प्रतिनिधियों को एक दिन की सूचना देकर कभी भी इसका सम्मेलन बुलाया जा सकेगा।
अनुच्छेद 7.3 : ग्राम प्रतिनिधियों के निर्वाचनोपरान्त (इतने दिन के अन्दर) ग्राम प्रतिनिधि लिखित गुप्त मतदान द्वारा (1) तालुकाध्यक्ष (2) तालुका प्रतिनिधि के पदों के लिए नाम सुझाएंगे। कोई भी प्रतिनिधि अपना नाम नहीं सुझा सकेगा।
अनुच्छेद 7.4 : प्रत्येक ग्राम प्रतिनिधि को वह जनसंख्या, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो, का 1000 से भाग देने पर अंशों को छोड़कर जो संख्या आये उतने मत का अधिकार होगा।
अनुच्छेद 7.5 : जहाँ कहीं गाँव की जनसंख्या 1000 से कम हो तो ग्राम प्रतिनिधि अपना मताधिकार किसी दूसरे ग्राम प्रतिनिधि को इस प्रकार से हस्तान्तरित कर सकता है कि अई ग्राम प्रतिनिधि दोनों गाँवों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा (अपने गाँव की जनता व दूसरे गाँव की जनता जिसके प्रतिनिधि ने उसे अपना मताधिकार हस्तान्तरित किया है। उदाहरण (दृष्टान्त) : गाँव 'क' की जनसंख्या 7600 है तो उसके ग्राम प्रतिनिधि के पास 7 वोटों का अधिकार होगा। गाँव 'ख' की जनसंख्या 900 है। ग्राम 'ख' का ग्राम प्रतिनिधि अपना मताधिकार ग्राम 'क' के ग्राम प्रतिनिधि को हस्तान्तरित कर सकता है। अब ग्राम 'क' के ग्राम प्रतिनिधि के पास 7600 + 900 = 8500 इसे 900 से भाग देने पर 8 वोट (अंश को छोड़ देना है) रहेगा। जो वह तीन में से प्रत्येक पद के लिए प्रयोग कर सकता है।
अनुच्छेद 7.6 : किसी भी पद के लिए सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने के लिए आमन्त्रित किया जाएगा। उसकी स्वीकृति होने पर उसके नाम की घोषणा तालुका पंचायत की स्वीकृति के लिए घोषणा कर दी जाएगी और किसी को भी आपत्ति हो तो उसे आमन्त्रित किया जाएगा। यदि कोई यथार्थपरक आपत्ति नहीं आती हो तो उस व्यक्ति को उस विशेष पद के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद 7.7 : यदि किसी पद के लिए सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस पद पर पदासीन होना नहीं चाहता और किसी दूसरे पद की इच्छा रखता हो तो दोनों पद के लिए सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति तालुका न्याय पंच प्रमुख के साथ संयुक्त बैठक कर इस समस्या का समाधान निकालंगे।

अनुच्छेद 7.8 : तालुका पंचायत प्रमुख और तालुका प्रतिनिधि तालुका पंचायत की इच्छानुसार अधिकतम 1 वर्ष तक पदासीन रहेंगे तथा उनके विरुद्ध तालुका पंचायत में वापस बुलाओ प्रस्ताव पारित होते ही वह तत्काल अपना पद त्याग देंगे।

अनुच्छेद 7.9 : तालुका न्याय पंच प्रमुख की कार्यावधि अधिकतम तीन वर्ष तक रहेगी जब तक कि उनके विरुद्ध तालुका की 20 % जनसंख्या का समर्थन करने वाले तालुकान्तर्गत ग्राम न्याय पच्च उनके विरुद्ध वापस बुझाओ प्रस्ताव पारित नहीं करते।

अनुच्छेद 7.10 : तालुका पंचायत प्रमुख और तालुका प्रतिनिधि के विरुद्ध किसी भी समय तालुका पंचायत साधारण बहुमत से वापस बुलावो प्रस्ताव पारित कर सकती है।

अनुच्छेद 7.11 : तालुका पंचायत प्रमुख, तालुका प्रतिनिधि या तालुका न्याय पंच प्रमुख के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को यह अर्हताएँ पूरी करनी होंगी। (1) वह भारत का/की नागरिक हो। (2) उसने 21 वर्ष की आयु पूरी की हो। (3) वह धूम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाकू, शराब, जुआ आदि व्यसनों से रहित हो। (4) वह अपनी व अपने परिवार के सदस्यों की सम्पत्ति की सार्वजनिक घोषणा करे तथा उसके द्वारा अवैधानिक तरीकों से सम्पत्ति अर्जन का कोई मामला न बनता हो। (5) वह किसी अपराध के लिए दण्डित न हुआ हो। (6) वह निर्विवाद रूप से उच्च नैतिक चरित्र का स्वामी हो। (7) वह किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक हो।

जिन क्षेत्रों में शिक्षा अत्यल्प हो वहाँ तालुका पंचायत इसमें ढील दे सकता है। (8) उसने महात्मा गाँधी द्वारा लिखित पाँच पुस्तकों का अध्ययन किया हो जिसमें महात्मा गाँधी की आत्मकथा भी शामिल हो। (9) उसने भारत के संविधान (नव निर्मित) का अध्ययन किया हो।

अनुच्छेद 7.12 : तालुका पंचायत तालुका के अन्तर्गत सारे गाँवों की कार्यपालिका या कार्यान्वयन समिति के रूप में कार्य करेगी और संविधान की धाराओं के अनुरूप तालुकावासियों की सुरक्षा, स्वतन्त्रता व विकास के लिए समुचित कदम उठाएगी।

अनुच्छेद 7.13 : तालुका पंचायत विभिन्न कार्यों तथा ग्रामसूची व जिला सूची के विभिन्न विषयों के लिए जहाँ आवश्यकता हो सर्वसम्मति से विभिन्न समितियों का गठन कर सकती है। ऐसी समितियों की 40 % सदस्य महिलाएं होंगी। इन समितियों के सदस्य तालुका पंचायत के अथवा उनके इतर भी हो सकते हैं।

अनुच्छेद 7.14 : महिलाओं से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बन्धित सभी विषयों पर तालुका पंचायत द्वारा गठित समितियों के सारे सदस्य अनिवार्यतः महिलाएं ही होंगी। ये सदस्याएं यदि चाहें तो अपनी समिति में सर्वसम्मति से एक या दो पुरुष सदस्यों को सहयोजित कर सकती हैं।

अनुच्छेद 7.15 : किसी भी बृहद् संगठन जैसे कि जिला पंचायत राज्य विधान सभा, राज्य न्याय परिषद, लोकसभा आदि के निर्वाचन में तालुका प्रतिनिधि ही संविधान की धाराओं के अनुरूप तालुका की जनता का प्रतिनिधित्व करेगा।

तालुका न्यायपालिका :

अनुच्छेद 7.16 : प्रत्येक जिले में तालुका न्याय समिति होगी।

अनुच्छेद 7.17 : तालुका न्याय समिति में सदस्यों की संख्या तालुका की जनसंख्या में 25000 का भाग देकर तय होगा (अंशो को छोड़कर)।

अनुच्छेद 7.18 : तालुका न्याय समिति के सदस्य निम्नलिखित शर्तों के मुताबिक चुने या निर्वाचित किए जाएंगे।

(क) सम्पूर्ण तालुका लगभग बराबर जनसंख्या के आधार पर निर्धारित सदस्यों की संख्या के बराबर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित होगा।

(ख) हर ग्राम न्याय पंच प्रमुख को, जिस जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है, उसे 1000 से विभाजित करने पर जो पूर्ण संख्या आती हो उसके बराबर मतों के प्रयोग का अधिकार होगा। प्रत्येक वोट विशेष सफेद निर्वाचन पत्र पर डाला जाएगा।

(ग) प्रत्येक ग्राम न्याय पंच ग्राम न्याय पंचों में से जिसे वह सर्वाधिक उचित समझता हो, का एक नाम एक मतपत्र पर तालुका न्याय समिति के सदस्य के लिए लिखकर सुझाएगा। वह अपने अधिकार के सारे मतपत्रों में एक ही नाम या भिन्न–भिन्न नाम लिख सकता है।

(घ) इस व्यवस्था में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले ग्राम न्याय पंच प्रमुख को तालुका न्याय समिति की सदस्यता ग्रहण करने की प्रार्थना की जाएगी। यदि वह स्वीकार करे तथा वह तालुका न्याय पंच प्रमुख के लिए आवश्यक अर्हता पूरी करता हो तो उसके नाम की घोषणा कर दी जाएगी तथा किसी भी ग्राम पंच प्रमुख को कोई आपत्ति हो तो उसे आमन्त्रित किया जाएगा और यदि कोई गम्भीर आपत्ति न आती हो तो वह तालुका न्याय समिति का सदस्य हो जाएगा।

(ड) और यदि वह अपनी स्वीकृति न दे तो जिस व्यक्ति को दूसरे नम्बर पर सर्वाधिक मत मिले हों, उसे तालुका न्याय समिति की सदस्यता लेने के लिए निवेदन किया जाएगा और इसके लिए पूर्वोक्त प्रक्रिया दोहराई जाएगी।

अनुच्छेद 7.19 : तालुका न्याय समिति के सदस्य तालुका न्याय समिति के अध्यक्ष अर्थात् तालुका न्याय पंच प्रमुख को चुनेंगे। यह चुनाव उपरोक्त विधि द्वारा ही होगा इसमें प्रत्येक सदस्य मात्र एक मत का प्रयोग कर पाएगा।

अनुच्छेद 7.20 : तालुका न्याय समिति के अध्यक्ष की कार्यावधि अधिकतम तीन वर्ष की होगी या जब तक कि तालुका न्याय समिति के 80 % सदस्य उसके विरुद्व वापस बुलाओ प्रस्ताव पारित नहीं करते।

अनुच्छेद 7.21 : तालुका न्याय समिति विभिन्न कार्यों के सम्पादन के लिए तथा न्याय से सम्बद्ध विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न समितियों का सर्वसम्मति से गठन कर सकती है। ऐसी समितियों के निर्णयों को तालुका न्याय समिति का निर्णय माना जाएगा।

अनुच्छेद 7.22 : तालुका न्याय समिति के पास वैयक्तिक विवाद व अपराध, व्यक्तिगत प्रतिवेदन, व्यक्ति बनाम ग्राम या सरकार, ग्राम बनाम ग्राम या सरकार के प्रतिवेदन का निपटारा करने की व अपराधियों के लिए अपने विवेकानुसार दण्ड देने की शक्ति व न्यायाधिकार रहेगा।

अनुच्छेद 7.23 : तालुका न्याय समिति की जिम्मेदारी होगी कि वह तालुका के प्रशासन का संविधान की धाराओं के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करे। कोई भी व्यक्ति जन्मसिद्ध अधिकारों के हनन होने पर सरकार के ऊपर संविधान द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों के पालन न होने पर या संविधान की किसी भी धारा का उल्लंघन होने पर तालुका न्याय समिति के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और उस पर तालुका न्याय समिति अपने विवेकानुसार निर्णय दे देगी।

अध्यय – 8
जिला प्रशासन की संरचना

अनुच्छेद 8.1 : प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत का गठन होगा जो जिले के अन्दर के तालुका प्रतिनिधियों से गठित होगा।

अनुच्छेद 8.2 : प्रत्येक माह जिला पच्चायत अनिवार्यतः एक अधिवेशन (सम्मेलन) करेगी। परन्तु आवश्यकता पड़ने पर कभी भी जिला पंचायत के व्यय के कम से कम 30 % तालुका प्रतिनिधियों की स्वीकृति या इच्छा होने पर तीन दिन की टेलीफोन सूचना पर इसका आह्वान किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 8.3 : जिला पच्चायत, जिला पंचायत के सदस्यों से ही जिला पंचायत प्रमुख और जिला प्रतिनिधि का सर्वसम्मति से चुनाव करेगी।

अनुच्छेद 8.4 : यदि अनुच्छेद 8.3 के मुताबिक सफलतापूर्वक चुनाव न हो सके तो जिले के सारे ग्राम प्रतिनिधि प्रत्येक 100 की जनसंख्या के प्रतिनिधित्व पर एक वोट के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा जिला प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे (अंश को छोड़कर)

अनुच्छेद 8.5 : प्रत्येक ग्राम प्रतिनिधि को उसके द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त प्रत्येक 100 की जनसंख्या के लिए एक मत की गणना से मतदान का अधिकार होगा (अंश को छोडकर)

अनुच्छेद 8.6 : जहाँ कहीं ग्राम की जनसंख्या 1000 से कम हो तो ऐसे गाँव के ग्राम प्रतिनिधि अपना मताधिकार किसी और ग्राम प्रतिनिधि को इस प्रकार से हस्तान्तरित कर सकता है कि मतदानार्ह ग्राम प्रतिनिधि दोनों गाँवों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व (उसके अपने ग्राम का व दूसरे उस ग्राम का जिसके ग्राम प्रतिनिधि ने अपना मताधिकार हस्तान्तरित किया हो) करेगा।

दृष्टान्त : ग्राम 'क' की जनसंख्या 7600 है। अतः ग्राम 'क' का ग्राम प्रतिनिधि सात मतों के मतदान का अधिकारी है। ग्राम 'ख' की जनसंख्या 900 है। ग्राम 'ख' का ग्राम प्रतिनिधि ग्राम 'क' के ग्राम प्रतिनिधि को अपना मताधिकार हस्तान्तरित कर सकता है। अब ग्राम 'क' के प्रतिनिधि के पास मतों की संख्या 7600 + 900=8500 हुआ। इसे 1000 से विभाजित करने पर 8 मत (अंशो को छोड़कर) होगा जिसे वह तीनों में से प्रत्येक पद के लिए प्रयोग कर सकेगा।

अनुच्छेद 8.7 : जिले का प्रत्येक ग्राम प्रतिनिधि निर्वाचित तालुका प्रतिनिधियों में से (1) जिला अध्यक्ष के पद के लिए तथा (2) जिला प्रतिनिधि के पद के लिए लिखित रूप से विशेष मतपत्र पर लिखित गुप्त मतदान के द्वारा प्रत्येक पद के लिए कम से कम 1–1 नाम सुझाएगा।

अनुच्छेद 8.8 : किसी भी पद के लिए सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस पद विशेष पर आरूढ़ होगा।

अनुच्छेद 8.9 : जिला पंचायत प्रमुख या जिला प्रतिनिधि जिला पंचायत के सौख्य तक पदासीन रहेंगे और उनके विरुद्ध वापस बुलाओ प्रस्ताव पारित होने पर तत्काल अपने पद को छोड़ देंगे।

अनुच्छेद 8.10 : जिला पंचायत प्रमुख या जिला प्रतिनिधि के विरुद्ध कभी भी जिला पंचायत मे साधारण बहुमत से वापस बुलाओ प्रस्ताव पारित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 8.11 : कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत प्रमुख, जिला प्रतिनिधि या जिला न्याय समिति प्रमुख के रूप में निर्वाचित होने के लिए अनिवार्यतः निम्न रूप से अर्ह होगा (1) वह भारत का नागरिक हो, (2) उसकी आयु 24 वर्ष पूर्ण हो, (3) वह धूम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाकू, शराब व जुआ तथा अन्य ऐसे व्यसनों से मुक्त हो, (4) वह अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की सम्पत्ति का ब्यौरा जनसाधारण के समक्ष घोषित करे और उसके द्वारा गलत व गैरकानूनी तरीकों से सम्पत्ति अर्जित करने को लेकर विरोध न हो, (5) उसे किसी भी अपराध के लिए दोषी प्रमाणित न किया गया हो, (6) उसका निर्विवाद रूप से उज्ज्वल नैतिक चरित्र हो, (7) उसे किसी भी विश्वविद्यालय से कम से कम स्नातक की उपाधि प्राप्त हो, (8) उसने महात्मा गाँधी द्वारा लिखित कम से कम 5 पुस्तकों का अध्ययन किया हो जिसमें महात्मा गाँधी की आत्मकथा व 'दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह' शामिल हों। (9) उसने भारत के संविधान का अध्ययन किया हो।

अनुच्छेद 8.12 : जिला पंचायत औचित्य और आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यों व ग्राम सूची, जिला सूची व राज्य सूची से सम्बन्धित विषयों पर सर्वसम्मति से विभिन्न समितियों का गठन व नियोजन कर सकती है। ऐसी सभी समितियों में कम से कम 30 % सदस्य अनिवार्यतः महिलाएं ही होंगी।

अनुच्छेद 8.13 : जिला पंचायत द्वारा महिलाओं से प्रत्यक्षतः या परोक्ष रूप से सम्बन्धित विषयों पर गठित (नियोजित) समितियों की सारे सदस्य अनिवार्यतः महिलाएं ही होंगी, यद्यपि समिति की महिला सदस्य चाएं तो सर्वसम्मति से एक या दो पुरुष सदस्यों को भी सहयोजित कर सकती हैं।

जिला न्यायपालिका

अनुच्छेद 8.14 : हरेक जिले में जिला न्याय समिति होगी।

अनुच्छेद 8.15 : जिला न्याय समिति में सदस्यों की संख्या सम्बद्ध जिले की जनसंख्या को 10000 से विभाजित करने पर आए पूर्णांकों के बराबर होगी (अंशों को छोड़कर)

अनुच्छेद 8.16 : जिला न्याय समिति के सदस्यों का चुनाव व निर्वाचन निम्नलिखित विधि के अनुसार होगाः

(क) समिति में निर्धारित सदस्यों की संख्या के बराबर भागों में लगभग बराबर–बराबर जनसंख्या वाले चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों में जिले को विभाजित किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक ग्राम न्याय पंच प्रमुख के पास जिस जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है, को 1000 से विभाजित करने पर जितना पूर्णांक आता है उतना मताधिकार होगा (अंशों को छोड़कर)। प्रत्येक मत विशेष श्वेत मतपत्र पर होगा।

(ङ) हरेक ग्राम न्याय पंच प्रमुख जिसको जिला न्याय समिति के सदस्य के रूप में सबसे उपयुक्त समझता है उस एक व्यक्ति का नाम एक मतपत्र पर लिखेगा। वह अपने अधिकार में रहे सारे मतों पर एक ही व्यक्ति का नाम लिख सकता है या इच्छानुसार विभिन्न मतपत्रों पर एकाधिक नाम भी लिख सकता है।

(घ) इस व्यवस्थान्तर्गत सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से जिला न्याय समिति की सदस्यता स्वीकार करने के लिए निवेदन किया जाएगा। यदि वह स्वीकार करे तथा वह जिला न्याय पंच प्रमुख के लिए आवश्यक अर्हताएं पूरी करता हो तो मतदाताओं अर्थात सारे ग्राम न्याय पंच प्रमुखों को उसके नाम की सूचना दी जाएगी ताकि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह उसे रखे। यदि कोई गम्भीर आपत्ति नहीं आती है तो वह जिला न्याय समिति का सदस्य बन जाएगा।

(ड.) यदि वह सदस्यता स्वीकार न करे तो दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले से जिला न्याय समिति की सदस्यता स्वीकार करने के लिए निवेदन किया जाएगा तथा उपरोक्त विधि की पुनरावृत्ति की जाएगी।

अनुच्छेद 8.17 : जिला न्याय समिति के सदस्यगण पूर्वोक्त विधि के अनुसार एक मतदाता को मात्र 1 मतदान का अधिकार के आधार पर जिला न्याय समिति के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

अनुच्छेद 8.18 : जिला न्याय समिति के अध्यक्ष की कार्यावधि तीन वर्षों की होगी या जब तक कि उसके विरोध में जिला न्याय समिति के सदस्यों द्वारा पारित वापस बुलाओ प्रस्ताव डाले गए मतों के 80 % के बहुमत से पारित न हो जाए।

अनुच्छेद 8.19 : जिला न्याय समिति विभिन्न कार्यों व न्याय से सम्बन्धित विषयों के लिए सर्वसम्मति के द्वारा विभिन्न समितियों का गठन कर सकती है। समितियों के निर्णयों को जिला न्याय समिति का निर्णय ही माना जाएगा।

अनुच्छेद 8.20 : जिला न्याय समिति के पास यह शक्ति और न्यायाधिकार होगा कि वह व्यक्तियों के मध्य, व्यक्ति व जिले या सरकार के मध्य, तालुकाओं के मध्य, गाँवों व किसी सरकारी प्राधिकरण के मध्य भी विवादों, अपराधों व प्रतिवेदनों का निपटारा करे और अपने विवेकानुसार अपराधियों को सजा सुनाए।

अनुच्छेद 8.21 : जिला न्याय समिति की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि जिले का प्रशासन संविधान की धाराओं के अनुसार हो। जन्मसिद्ध अधिकारों के हनन पर, सरकार के लिए अनिवार्य आदेशों व सरकार पर लगे प्रतिबन्धों के पालन न होने पर या संविधान की धाराओं के उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति जिला न्याय समिति को शिकायत कर सकता है। जिला न्याय समिति इन मुद्दों पर अपने विवेकानुसार निर्णय देगी।

अध्याय – 9
राज्य प्रशासन की संरचना

अनुच्छेद 9.1 : प्रत्येक राज्य में एक विधान सभा होगी जो राज्य के सारे निर्वाचित तालुका प्रतिनिधियों से मिलकर बनी होगी।

अनुच्छेद 9.2 : प्रत्येक दो माह में विधान सभा की बैठक होगी। परन्तु कम से कम 20 % तालुका प्रतिनिधियों के द्वारा लिखित देने पर एक सप्ताह की सूचना पर विधान सभा की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

अनुच्छेद 9.3 : सारे तालुका प्रतिनिधि गुप्त मतदान के द्वारा राज प्रमुख का चुनाव करेंगे।

अनुच्छेद 9.4 : प्रत्येक तालुका प्रतिनिधि जिस जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करता हो, को 10000 से विभाजित करने पर जो पूर्णांक आये (अंशों को छोड़कर उसके बराबर मतों का अधिकार किसी भी निर्वाचन के लिए प्रयोग करेगा।

अनुच्छेद 9.5 : कोई भी व्यक्ति तभी राज प्रमुख के रूप में निर्वाचित होगा जब उसे डाले गए कुल मतों का 80 % मत प्राप्त हो।

अनुच्छेद 9.6 : राज प्रमुख विधान सभा की इच्छावधि तक ही पदासीन रहेगा और उसके विरुद्ध वापस बुलाओ प्रस्ताव पारित होने पर तत्काल अपने पद का त्याग करेगा।

अनुच्छेद 9.7 : राज प्रमुख के विरुद्ध विधान सभा कभी भी साधारण बहुमत से वापस बुलाओ प्रस्ताव पारित कर सकती है।

अनुच्छेद 9.8 : कोई भी व्यक्ति राज प्रमुख के रूप में निर्वाचित होने के लिए तभी अर्ह होगा जब (i) भारत का नागरिक हो, (ii) उसने 25 वर्ष की आयु पूर्ण की हो, (iii) वह धूम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाकू, शराब, जुआ इत्यादि और अन्य ऐसे व्यसनों से मुक्त हो, (iv) वह अपनी तथा अपने परिवार की सदस्यों के सम्पत्ति की घोषणा सर्वसाधारण के सम्मुख करे। और उसके द्वारा अवैधानिक तरीकों से सम्पत्ति अर्जित करने की कोई शिकायत न हो, (v) किसी अपराध के लिए उस पर दोष प्रमाणित न हुआ हो, (vi) वह निर्विवादित रूप से उज्ज्वल नैतिक चरित्र का स्वामी हो, (vii) किसी भी विश्वविद्यालय से उसे कम से कम स्नातक या उसके समकक्ष उपाधि प्राप्त हो, (viii) उसने महात्मा गाँधी द्वारा लिखित कम से कम पुस्तकों का अध्ययन किया हो जिसमें 'महात्मा गाँधी की आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह व हिन्द स्वराज आदि पुस्तकें शामिल हों।

अनुच्छेद 9.9 : विधान सभा कार्य पालिका व कार्यान्वयन विकास के रूप में कार्य करेगी।

अनुच्छेद 9.10 : विधान सभा विभिन्न कार्यों तथा ग्राम सूची, जिला सूची व राज्य सूची से सम्बन्धित विषयों के लिए औचित्य व आवश्यकतानुसार विभिन्न समितियों का गठन व नियोजन कर सकती है। ऐसी समितियों में महिला सदस्यों की संख्या अनिवार्यतः कम से कम 20 % होगी।

अनुच्छेद 9.11 : विधान सभा द्वारा महिलाओं से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बन्धित विषयों पर गठित व नियोजित समितियों में महिला सदस्यों की संख्या अनिवार्यतः कम से कम कुल सदस्यों की संख्या की 60 % होगी।

अनुच्छेद 9.12 : विधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या अनिवार्यतः कम से कम 20 % होगी। राज्य न्यायपालिका

अनुच्छेद 9.13 : प्रत्येक राज्य में राज्य न्याय परिषद होगा।

अनुच्छेद 9.14 : राज्य न्याय परिषद में सदस्यों की संख्या राज्य की जनसंख्या को 10 लाख से विभाजित करने पर आए पूर्णांक के बराबर होगी (अंशो को छोड़कर)

अनुच्छेद 9.15 : राज्य न्याय परिषद के सदस्यों का चुनाव तथा निर्वाचन निम्नलिखित विधि से होगा

(क) सम्पूर्ण राज्य सदस्यों की संख्या के बराबर भागों में लगभग समान जनसंख्या के आधार पर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित होगा।

(ख) प्रत्येक ग्राम न्याय पंच प्रमुख के पास जिस जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करता हो, को 1000 से भाग देने पर आए पूर्णांक के बराबर मतदान का अधिकार होगा। प्रत्येक मतदान एक विशेष पीत मतपत्र पर होगा।

(ग) प्रत्येक तालुका न्याय पंच प्रमुख के पास जिस जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करता हो, को 5000 से विभाजित करने पर जो पूर्णांक प्राप्त होता हो, के बराबर मतों के दान का अधिकार होगा। प्रत्येक मतदान एक विशेष नील मतपत्र पर होगा।

(घ) प्रत्येक ग्राम न्याय पंच प्रमुख अपने अधिकार के एक मतपत्र पर मात्र एक व्यक्ति का नाम लिखित रूप से सुझाएगा जिसको वह राज्य न्याय परिषद के सदस्य के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त समझता हो। वह अपने अधिकार के सारे मतपत्रों पर एक ही नाम का या विभिन्न मतपत्रों में विभिन्न नामों का लिखित सुझाव दे सकता है।

(ड) प्रत्येक तालुका न्याय पंच प्रमुख अपने अधिकार के एक मतपत्र पर मात्र एक व्यक्ति का नाम लिखित रूप से सुझाएगा जिसको वह राज्य न्याय परिषद के सदस्य के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त समझता हो। वह अपने अधिकार के सारे मतपत्रों पर एक ही नाम का या विभिन्न मतपत्रों में विभिन्न नामों का लिखित सुझाव दे सकता है।

(च) इस व्यवस्थान्तर्गत सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से राज्य न्याय परिषद की सदस्यता ग्रहण करने के लिए निवेदन किया जाएगा। यदि वह स्वीकार करता है तथा जिला न्याय पंच प्रमुख के लिए निर्धारित अर्हताएं पूरी करता है तो उसके नाम की सूचना सारे मतदाताओं को दी जाएगी और किसी को कोई आपत्ति हो तो आमंत्रित किया जाएगा। यदि कोई गम्भीर आपत्ति सामने नहीं आती है तो वह व्यक्ति राज्य न्याय परिषद का सदस्य हो जाएगा।

(छ) यदि वह स्वीकार न करे तो दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सदस्यता स्वीकार करने का निवेदन किया जाएगा और उपरोक्त विधि की पुनरावृत्ति की जाएगी।

अनुच्छेद 9.16 : कोई भी व्यक्ति राज्य न्याय परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने या निर्वाचित होने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक वह राज प्रमुख के लिए निर्धारित अर्हताएं पूरी न करता हो।

अनुच्छेद 9.17 : राज्य न्याय परिषद के सदस्य उपरोक्त विधि द्वारा ही तथा एक सदस्य एक मत के आधार पर राज्य न्याय परिषद के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

अनुच्छेद 9.18 : राज्य न्याय परिषद का अध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए पदासीन रहेगा जब तक कि राज्य न्याय परिषद के सदस्य कुल मतदान के 80 % मतों द्वारा उसके विरुद्ध वापस बुलाओ प्रस्ताव पारित नहीं करते।

जिसमें 'महात्मा गाँधी की आत्मकथा, 'दक्षिण आफ्रीका में सत्याग्रह' व 'हिन्द स्वराज' आदि शामिल हों। (?)

अनुच्छेद 10.8 : लोकसभा सम्पूर्ण संघ की कार्यपालिका व कार्यान्यवन निकाय के रूप मे कार्य करेगी।

अनुच्छेद 10.9 : राष्ट्रपति विभिन्न कार्यों के लिए तथा संघीय सूची व राज्य सूची से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर औचित्य और आवश्यकतानुसार लोकसभा के सदस्यों से विभिन्न मन्त्रियों को नियुक्त कर सकता है। प्रत्येक मन्त्री लोकसभा के 5 से 7 सदस्यों की समिति का गठन या नियोजन करेगा। ऐसी समितियों में महिलाओं की संख्या अनिवार्यतः कम से कम 20 % होगी।

अनुच्छेद 10.10 : प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से महिलाओं से सम्बन्धित विषयों पर लोकसभा द्वारा गठित किसी भी समिति में अनिवार्यतः कम से कम 50 % महिला सदस्यों की भागीदारी रहेगी।

अनुच्छेद 10.11 : लोकसभा में अनिवार्यतः कम से कम 20 % महिला सदस्याएं होंगी।

अनुच्छेद 10.12 : भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल लोकसभा की इच्छावधि (सौख्य) तक अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगा और लोकसभा द्वारा उसके विरूद्ध वापस बुलाओ प्रस्ताव पारित करने पर तत्काल वह अपने पद का त्याग करेगा।

अनुच्छेद 10.13 : भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध लोकसभा कभी भी साधारण बहुमत के द्वारा वापस बुलाओ प्रस्ताव पारित कर सकती है।

संघीय न्यायपालिका :

अनुच्छेद 10.14 : भारत में एक राष्ट्रीय न्याय सभा होगी जो न्यायपालिका का सर्वोच्च निकाय होगा।

अनुच्छेद 10.15 : राष्ट्रीय न्याय सभा में 900 सदस्य होंगे।

अनुच्छेद 10.16 : राष्ट्रीय न्याय सभा के सदस्यों का चुनाव तथा निर्वाचन निम्नलिखित विधान से होगा

(क) सम्पूर्ण राष्ट्र को लगभग बराबर जनसंख्या के आधार पर 100 भागों में विभाजित किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक तालुका न्याय पंच प्रमुख के पास उसके द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त जनसंख्या को 25000 से विभाजित करने पर आए पूर्णांक के बराबर मतों का अधिकार होगा। प्रत्येक मत एक विशेष लाल मतपत्र में दिया जाएगा।

(ग) प्रत्येक जिला न्याय पंच प्रमुख के पास उसके द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त जनसंख्या को 100000 के विभाजित करने पर आए पूर्णांक के बराबर मतों का अधिकार होगा। प्रत्येक मतदान एक विशेष हरित मतपत्र पर होगा।

(घ) प्रत्येक तालुका न्याय पंच प्रमुख एक मतपत्र पर एक व्यक्ति का नाम लिख कर सुझाएगा जिसको वह राष्ट्रीय न्याय सभा के सदस्य के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त समझता हो। वह अपने अधिकार के प्रत्येक मतपत्र में एक ही नाम या विभिन्न मतपत्रों पर एकाधिक नाम का सुझाव दे सकता है।

(ड) प्रत्येक जिला न्याय पंच प्रमुख मतपत्र पर एक व्यक्ति का नाम लिखित रूप से सुझाएगा। जिसको वह राष्ट्रिय न्याय सभा के सदस्य के रूप मे सर्वाधिक उपयुक्त समझता हो। वह अपने अधिकार के सारे मतपत्रों पर एक ही नाम पर या विभिन्न मतपत्रों का एकाधिक नाम सुझाव सकता है।

(च) इस व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रीय न्याय सभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए निवेदन किया जाएगा। यदि वह इसे स्वीकार करे तथा यदि वह राज्य न्याय परिषद के लिए आवश्यक अर्हता पूर्ण करता हो तो सारे मतदाताओं को अर्थात् सारे तालुका न्याय पंच प्रमुखों व सारे जिला न्याय पंच प्रमुखों को उसके नाम की सूचना दे दी जाएगी कि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह उसे प्रस्तुत करे। कोई गम्भीर आपत्ति के आने पर वह राष्ट्रीय न्याय सभा का सदस्य हो जाएगा।

(च) उस व्यक्ति के अस्वीकार करने पर दूसरे स्थान में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से राष्ट्रीय न्याय सभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए निवेदन किया जाएगा था अनुच्छेद 10–16/च की प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी।

अनुच्छेद 10.17 : कोई भी व्यक्ति न्याय सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए तब तक योग्य नहीं माना जाएगा जबतक कि वह राज्य के राज प्रमुख के लिए निर्धारित अर्हताएँ पूरी न करता हो।

अनुच्छेद 10.18 : राष्ट्रीय न्याय सभा के सदस्यगण उपरोक्त विधि द्वारा ही तथा एक मतदाता एक मत के आधार पर राष्ट्रिय न्याय सभा के अक्ष्यक्ष का चुनाव करेंगे।

अनुच्छेद 10.19 : राष्ट्रीय न्याय सभा के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष तक निर्बाध होगा जब तक कि उसके विरुद्ध राष्ट्रीय न्याय सभा में वापस बुलाओ प्रस्ताव कुल डाले गये मतों के 80 प्रतिशत मतों से पारित नहीं हो जाता।

अनुच्छेद 10.20 : राष्ट्रीय न्याय सभा विभिन्न कार्यों के लिए तथा न्याय से सम्बन्धित विभिन्न विषयों के लिए सर्वसम्मति से विभिन्न समितियों का गठन व नियोजन कर सकती है। ऐसी समितियों द्वारा दिए गए निर्णयों को राष्ट्रीय न्याय सभा का निर्णय माना जाएगा।

अनुच्छेद 10.21 : राष्ट्रीय न्याय सभा के पास व्यक्तियों, व्यक्ति एवं राज्य, राज्यों, जिलों व सरकारी अधिकरणों के मध्य विवादों, अपराधों व प्रतिवेदनों को निपटाने का व अपराधियों को सजा देने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 10.22 : राष्ट्रीय न्याय सभा की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चत करे कि संघ का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हो। कोई भी व्यक्ति जन्म सिद्ध अधिकारों के हनन होने पर, 'सरकार को आवश्यक निर्देशों' के उल्लंघन होने पर, सरकार पर प्रतिबन्धों के अनुपालन न होने पर और संविधान के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन होने पर राष्ट्रीय न्याय सभा के समक्ष शिकायत कर सकता है। राष्ट्रीय न्याय सभा अपने विवेकानुसार निर्णय देगी।

लेखानियन्त्रक व महालेखापरीक्षक :

अनुच्छेद 10.23 : भारत का लेखानियन्त्रक व महालेखा परीक्षक होगा जो राष्ट्रिय न्याय सभा के सदस्यों में से होगा तथा उसकी नियुक्ति राष्ट्रीय न्याय सभा की सलाह से भारत का राष्ट्रपति करेगा।

अनुच्छेद 10.24 : लेखानियन्त्रक व महालेखा–परीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी कार्यालयों के खर्चों का लेखा–परीक्षण गैरसरकारी लेखापरीक्षक द्वारा किया जाए न कि सरकारी लेखापरीक्षकों द्वारा।

अनुच्छेद 10.25 : लेखानियन्त्रक व महालेखापरीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी कार्यालयों, का लेखापरीक्षण विभिन्न अनुभवी व नामवर लेखा परीक्षण फर्मों द्वारा किया जाए।

अनुच्छेद 10.26 : लेखानियन्त्रक व महालेखापरीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी कार्यालयों, संघीय विभागों, राज्यों व जिलों का लेखा–परीक्षित रिपोर्ट सम्बन्धित लोगों व जानकारी की इच्छा रखने वाले साधारण लोगों के संज्ञान में भी यथासमय लाया जाए, लोकहित के लेख सम्बन्धित अखबारों में प्रकाशित किए जाएं (विज्ञापन के रूप में नहीं), या किसी अन्य विधि द्वारा जिसे लेखानियन्त्रक व महालेखापरीक्षक उचित समझे जन समक्ष प्रस्तुत किए जाएँ।
अनुच्छेद 10.27 : लेखानियन्त्रक व महालेखापरीक्षक गम्भीर गड़बड़ियाँ, निधियों के दुरुपयोग, अनधिकृत खर्चे, जालसाजी, सरकारी निधि के गबन इत्यादि के मामले औचित्यानुसार राष्ट्रीय न्याय सभा व राज्य न्याय परिषद के संज्ञान में दुरुपयोग करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति के साथ लाएगा।
अनुच्छेद 10.28 : सरकारी खर्चों की जाँच करने वाला कोई भी अधिकृत लेखा परीक्षक जानबूझकर गलत लेखा विवरण देने का, या किसी भी सरकारी अधिकरण या अधिकारी के वित्तीय दुरुपयोग, जालसाजी या गलती को छिपाने का प्रयास करने का या अनुचित पक्षपात करने का अपराधी पाया जाता है तो उसे 10 वर्ष तक कारावास की सजा हो सकती है।
चुनाव :
अनुच्छेद 10.29 : लोकसभा, विधानसभाओं, राष्ट्रीय न्याय सभा, राज्य न्याय परिषदों व जिले स्तर के सभी चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन व नियन्त्रण का अधिकार एक निर्वाचन आयोग के पास निहित होगा।
अनुच्छेद 10.30 : राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्याय सभा के एक या एकाधिक सदस्यों को चुनाव आयुक्त नियुक्त करेगा तथा उनको संयुक्त रूप से या अलग–अलग एकल रूप से निर्वाचन की जिम्मेदारी देगा।

खण्ड 11
नगर व महानगर

अनुच्छेद 11.1 : बीस लाख से ऊपर की जनसंख्या वाला कोई भी शहर महानगर होगा।
अनुच्छेद 11.2 : पचास हजार से ऊपर तथा बीस लाख से नीचे की जनसंख्या वाला शहर नगर होगा।
अनुच्छेद 11.3 : पचास हजार से नीचे की जनसंख्या वाली कोई भी इकाई (गाँव या कस्बा) को ग्राम्य माना जाएगा।
अनुच्छेद 11.4 : हरेक महानगर को लगभग 10000 की जनसंख्या रखने वाले इकाइयों में विभाजित किया जाएगा जिन्हें 'एकम्' कहा जाएगा।
अनुच्छेद 11.5 : प्रत्येक एकम् एक गाँव की तरह माना जाएगा और इसके पास गाँव की ही तरह ग्राम्य सूची के अनुसार एकम् के मामलों व कार्यवाहियों को संचालित करने का संवैधानिक अधिकार होगा बशर्ते वह सम्बद्ध नगर या महानगर की संरचना व उसके प्रशासन के साथ असंगत न हो।
अनुच्छेद 11.6 : प्रत्येक महानगर में लगभग 50 निकटस्थ व जुड़े हुए एकमों को मिलाकर महानगर वार्ड बनेगा। इस तरह महानगर परिस्थिति व जनसंख्या के आधार पर 50–50 एकमों द्वारा निर्मित वार्डों में विभाजित होगा।
अनुच्छेद 11.7 : महानगर का प्रत्येक वार्ड एक तालुका की तरह माना जाएगा और इसके पास तालुका की ही तरह जिला सूची के अनुसार वार्ड के मामलों व कार्यवाहियों को संचालित करने का संवैधानिक अधिकार होगा बशर्ते वह सम्बद्ध नगर या महानगर की संरचना व उसके प्रशासन के असंगत न हो। अनुच्छेद 11.8 : प्रत्येक नगर तालुका की तरह माना जाएगा और इसके पास तालुका की ही तरह जिला सूची के अनूसार नगर के मामलों व कार्यवाहियों को संचालित करने का संवैधानिक अधिकार होगा बशर्ते वह सम्बद्ध नगर की संरचना व उसके प्रशासन के असंगत न हो।
अनुच्छेद 11.9 : प्रत्येक महानगर एक जिले की तरह माना जाएगा और इसके पास जिले की ही तरह जिला सूची के अनुसार महानगर के मामलों व कार्यवाहियों को संचालित करने का संवैधानिक अधिकार होगा बशर्ते वह सम्बद्ध महानगर की संरचना व उसके प्रशासन के असंगत न हो।

अनुच्छेद 11.10 : मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद व अहमदाबाद को राज्यों की तरह ही माना जाएगा और इनके पास राज्य सूची के अनुसार महानगर के मामलों व कार्यवाहियों को संचालित करने का संवैधानिक अधिकार होगा बशर्ते वह सम्बद्ध महानगर की संरचना व उसके प्रशासन के असंगत न हो।

खण्ड 12
कराधान

अनुच्छेद 12.1 : ग्राम्य स्तर से लेकर केन्द्रीय स्तर तक कोई भी सरकार आयातित वस्तुओं पर आयात शुल्क के अलावा कोई भी परोक्ष कर नहीं लगा सकती है।
अनुच्छेद 12.2 : यथोचित वैधानिक अधिकरण द्वारा पारित किए बिना कोई भी कर लागू नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 12.3 : केन्द्र सरकार अनुच्छेद 11.10 में उल्लिखित सात महानगरों में लोगों की आय व सम्पत्ति पर प्रत्यक्ष कर लागू कर सकती है। केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए कर के संग्रहण की व्यवस्था महानगर के अधिकरणों द्वारा की जाएगी तथा संगृहीत अर्थ का 50 % भाग सम्बन्धित महानगर द्वारा ही रखा जाएगा व शेष 50 % भाग केन्द्र सरकार को दिया जाएगा।
अनुच्छेद 12.4 : कोई भी केन्द्र सरकार किसी भी महानगर पर कोई भी कर तभी लागू कर सकती है जब केन्द्र सरकार द्वारा संगृहीत आयात कर भारत की सुरक्षा व प्रशासनिक खर्चे के लिए पर्याप्त न हो।
अनुच्छेद 12.5 : अनुच्छेद 11.10 में उल्लिखत सात महानगरों को छोड़कर राज्य सरकार अपने राज्य के किसी भी महानगर में सम्पत्ति, आय व खर्च में प्रत्यक्ष कर लागू कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा लागू इस तरह के कर के संग्रहण की व्यवस्था नागरीक या महानगरीय अधिकरण ही करेगी व कुल संगृहीत कर का 60 % भाग सम्बन्धित नगर या महानगर द्वारा ही रखा जाएगा तथा शेष 40 % भाग राज्य सरकार को दिया जाएगा।
अनुच्छेद 12.6 : शहर में निवास करने वाले लोगों पर कोई भी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी भी प्रकार का परोक्ष कर लागू नहीं कर सकती है।
अनुच्छेद 12.7 : गाँव में निवास करने वाले लोगों पर कोई भी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी भी प्रकार का परोक्ष कर लागू नहीं कर सकती है।
अनुच्छेद 12.8 : कोई भी गाँव ग्रामीणों पर किसी भी प्रकार का अनिवार्य कर नहीं लागू कर सकता है। ग्रामीणों पर लागू किया जाने वाला कोई भी प्रस्तावित कर ग्राम सभा में 80 % के बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए।
अनुच्छेद 12.9 : ग्रामीणों से कर संग्रहण की कोई भी व्यवस्था उनके स्वामित्व में रहने वाले भूमि के अनुपात में होगी अर्थात् कर प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर के आधार पर होगा।
अनुच्छेद 12.10 : भूमिहीन ग्रामीणों से, जिनके पास खेत में श्रम करने के अलावा आय का कोई अन्य स्रोत न हो, ग्राम किसी भी प्रकार का कर नहीं वसूलेगा।
अनुच्छेद 12.11 : कोई भी तालुका या जिला प्रशासन कृषि योग्य भूमि या कृषि उत्पाद पर किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष कर नहीं लगा सकता है।
अनुच्छेद 12.12 : तालुका या जिला प्रशासन व्यवसायियों, वणिकों, उत्पादकों के सम्पत्ति, आय व खर्चों पर प्रत्यक्ष कर लगा सकता है। ऐसा कोई भी कर सम्बन्धित वर्ग से (उनके व्यापार संगठन के द्वारा) मशविरा किए बिना, उन्हें विश्वास में लिए बिना तथा उनकी स्वीकृति के बिना नहीं लगाया जाएगा।

खण्ड – 13
वैधानिक शक्तियों का विभाजन

अनुच्छेद 13.1 : पाँच प्रकार की वैधानिक सूचियाँ होंगी (क). गाँव के लिए वैधानिक सूची अर्थात् ग्राम सूची (देखिए अनुसूची 1), (ख) जिले की वैधानिक सूची अर्थात् जिला सूची (देखिए अनुसूची 2), (ग). राज्य के लिए वैधानिक सूची अर्थात् राज्य सूची (देखिए अनुसूची 3), (घ). संघ के लिए वैधानिक सूची

अर्थात् केन्द्र सूची (देखिए अनुसूची 4), (ड). न्याय व्यवस्था के लिए वैधानिक सूची अर्थात् न्याय सूची (देखिए अनुसूची 5)।
अनुच्छेद 13.2 : ग्राम सूची में दिए गए किसी भी विषय में कोई भी कानून बनाने के लिए ग्रामसभा एक सक्षम अधिकरण होगा।
अनुच्छेद 13.3 : जिला सूची में दिए गए किसी भी विषय में कोई भी कानून बनाने के लिए जिला पंचायत एक सक्षम अधिकरण होगा।
अनुच्छेद 13.4 : राज्य सूची में दिए किसी भी विषय में कोई भी कानून बनाने के लिए राज्य की विधान सभा एक सक्षम अधिकरण होगा।
अनुच्छेद 13.5 : केन्द्र सूची में दिए गए किसी भी विषय में कोई भी कानून बनाने के लिए लोकसभा एक सक्षम अधिकरण होगा।
अनुच्छेद 13.6 : न्याय सूची में दिए गए किसी भी विषय में कोई भी कानून बनाने के लिए राष्ट्रीय न्याय सभा एक सक्षम अधिकरण होगा।
अनुच्छेद 13.7 : गाँव के लिए वैधानिक सूची अर्थात् ग्राम सूची ग्राम सभा तालुका पंचायत, जिला पंचायत के लिए संगामी सूची होगा।
अनुच्छेद 13.8 : जिले के लिए वैधानिक सूची अर्थात् जिला सूची तालुका पंचायत, जिला पंचायत व राज्य सरकार के लिए संगामी सूची होगा।
अनुच्छेद 13.9 : राज्य के लिए वैधानिक सूची अर्थात् राज्य सूची राज्य व केन्द्र सरकार के लिए संगामी सूची होगा।
अनुच्छेद 13.10 : संघ के लिए वैधानिक सूची केन्द्र सरकार के लिए मात्र होगा।
अनुच्छेद 13.11 : दो भिन्न वैधानिक अधिकरणों द्वारा किसी विषय पर आपस में विरोधाभासी कानून बनाने पर निचले अधिकरण द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा।

दृष्टान्त :

1. एक ही विषय पर तालुका पंचायत व जिला पंचायत द्वारा भिन्न–भिन्न कानून बनाने पर सम्बन्धित तालुका में तालुका पंचायत द्वारा बनाया गया कानून ही सम्बन्धित तालुका में प्रभावी रहेगा।
2. एक ही विषय पर जिला पंचायत व राज्य सरकार द्वारा भिन्न–भिन्न कानून बनाए जाने की स्थिति में जिला पंचायत द्वारा बनाया गया कानून ही सम्बन्धित जिले में प्रभावी रहेगा।

अनुच्छेद 13.12 : जिला पंचायत तालुका पंचायत को विधायिका के कोई भी या सारे अधिकार दे सकती है।
अनुच्छेद 13.13 : जिला पंचायत अपने अन्दर के किसी भी या सारे नगर पालिकाओं को विधायिका के कोई भी या सारे अधिकार दे सकती है।
अनुच्छेद 13.14 : राज्य सरकार अपने अन्दर के किसी भी या सारे नगर निगमों को विधायिका के कोई भी या सारे अधिकार दे सकती है।
अनुच्छेद 13.15 : गाँव के वैधानिक अधिकार नगर पालिकाओं पर लागू होंगे।
अनुच्छेद 13.16 : जिले के वैधानिक अधिकार नगर निगमों पर लागू होंगे।

अनुसूची 1 : ग्राम सूची

1. जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा।
2. पेयजल।
3. कृषि, भूमि पर अधिकतम सीमा नियोजन का अधिकार।
4. सिंचाई, जल प्रबन्धन, जल विभाजन व जलस्रोत विकास।
5. पशुपालन, दुग्ध उद्योग व मुर्गीपालन।
6. ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादन व वितरण सहित।

7. खादी, ग्राम्य व कुटीर उद्योग।
8. लघु उद्योग, खाद्य संरक्षण उद्योग सहित।
9. शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक सहित।
10. व्यापार तथा वाणिज्य गाँव के अन्दर तथा बाहर दोनों का निर्यात सहित।
11. पुलिस।
12. गाँव के अन्दर के सारे न्यायिक मामले।
13. भूमि सुधार, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, भूमि एकीकरण (चकबन्दी) व भूमि सशक्तीरण तथा भूमि संरक्षण।
14. वानिकी, सामाजिक व कृषि वानिकी समाविष्ट।
15. वन उत्पाद।
16. ग्रामीण आवास विकास।
17. ईंधन व चारा।
18. सड़क, नाले, पुल, घाट व नावों की व्यवस्था, जलमार्ग व अन्य संचार वा यातायात के साधन।
19. गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत।
20. गरीबी उन्मूलन प्रति तालुका।
21. महिला व बाल विकास।
22. तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा।
23. प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा।
24. परिवार कल्याण।
25. स्वास्थ्य–रक्षा व सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व दवाखाना सहित।
26. समाज कल्याण।
27. कमजोर वर्गों का कल्याण।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
29.
30. सम्पत्ति की अधिकतम सीमा का निर्धारण व अधिग्रहण।
31. नशे के पेयों पर पूर्ण पाबन्दी, अर्थात् इनके उत्पादन, निर्माण, परिग्रह, परिवहन व विक्रय सब पर पूर्ण पाबन्दी।
32. जुआ व सट्टे पर पाबन्दी।
33. बूचड़खानों पर पाबन्दी।
34. मालगुजारी व भूमि के अभिलेख।
35. कृषि आय पर कर।
36. सम्पत्ति कर।
37. विलासिता पर कर जिसमें मनोरंजन कर भी समाविष्ट।
38. कृषि आय के इतर अन्य आयों पर कर।
39. गाँव के बाहर से होने वाले आय पर कर।
40. प्रति व्यक्ति कर।
41. सार्वजनिक सुविधा जिनमें गली व सड़कों का प्रकाशीकरण, वाहन स्टैण्ड व जनसुविधाएँ शामिल हैं।
42. पशुशाला तथा पशुओं पर अत्याचार पर रोक तथा उसका निवारण।
43. जलाशय व पशुओं का खेतों में प्रवेश पर रोक।
44. गैर कृषि योग्य भूमि।
45. ग्राम के स्वामित्व में निहित कार्य (कर्म) भूमि व भवन।
46. हाट–बाजार व मेले।

47. पुस्तकालय व सांस्कृतिक कार्यक्रम
48. नाट्यशाला व नाट्यमंचन; सिनेमा, खेलकूद व मनोरंजन।
49. महाजनी व महाजन; कृषि ऋणों में राहत।
50. तीर्थ व तीर्थाटन।
51. समाजिक परिसम्पत्तियों की देखभाल।
52. आवश्यक तथ्यांक जिसमें जन्म, मृत्यु, विवाह आदि का पंजीकरण समाविष्ट है।
53. गड़ी हुई सम्पत्ति।

अनुसूची –2 : जिला सूची

1. उद्योग, लघु उद्योगों के अलावा।
2. सिंचाई, जिले के अन्दर।
3. शहरीकरण योजना नगरीकरण योजना सहित।
4. भूमि उपयोग की योजना व भवनों का निर्माण।
5. आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए योजना।
6. सड़क एवं पुल।
7. घरेलू, औद्योगिक व व्यावसायिक उपयोग के लिए जलापूर्ति।
8. लोक स्वास्थ्य, सफाई संरक्षण व ठोस कूड़ा–प्रबन्धन।
9. अग्निशमन सेवा
10. नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण व पारिवेशिक पक्ष का उत्कर्ष
11. शारीरिक रूप से विकलांगों व सुस्त मनःस्थिति वाले वर्गों सहित समाज के अन्य कमजोर वर्गों की सुरक्षा।
12. मलिन बस्तियों का विकास व उत्कर्ष।
13. नगरीय व ग्रामीण गरीबी प्रशमन (उन्मूलन)।
14. नगरीय सुख–सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान व क्रीड़ा स्थलों व रंगशालाओं की व्यवस्था
15. सांस्कृतिक, शिक्षा व सौन्दर्य पक्षों का विकास व उत्कर्ष।
16. अखबार
17. यान्त्रिक या गैर यान्त्रिक सड़क पर परिचालन योग्य यातायात व परिवहन वाहनों, यान्त्रिक या गैर यान्त्रिक पर कर जिसमें ट्राम कार भी समाविष्ट है।
18. अभिलेखों व कागज पत्र पर स्टाम्प शुल्क
19. पुस्तकालय, संग्रहालय व अन्य ऐसे संस्थान, प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक व सम्बन्धित अभिलेख
20. संचार व परिवहन, अर्थात्, सड़क, पुल, नौघाट (नौ परिवहन) व अन्य माध्यम, नगर पालिका द्वारा संचालित ट्राम कारें, सड़क परिवहन, अन्तर्देशील जल–मार्ग व यातायात।
21. कृषि, जिसमें कृषि की शिक्षा व अनुसन्धान भी शामिल है।
22. उद्योग
24. गैस व गैस उद्यम।
25. खनिज अधिकारों पर कर
26. अल्कोहल (शराब) युक्त औषधि व प्रसाधन के उपक्रम
27. मजदूर संघ व व्यापार संघ, औद्योगिक व श्रमिक विवाद।
28. कारखाने।
29. ब्वॉयलर।
30. विद्युत।
31. अखबार, पुस्तक व छपाईखाना।

32. निगमन, विश्वविद्यालयों का नियमन व समापन (बन्दी)। अनिगमित वाणिज्य, शिक्षा, वैज्ञानिक, धार्मिक व अन्य संगठन, समिति व निकाय, सहकारी समिति।
34. नमक का उत्पादन, आपूर्ति व वितरण।
35. प्रदर्शन के लिए सिनेमाओं को अनुमति।
36. कृषि द्वारा आय के अलावा अन्य आयों पर कर।
37. निगम कर
38. लोगों के कृषि योग्य भूमि के अलावा सम्पत्ति के पूँजीगत मूल्य पर कर, कम्पनियों के पूँजी पर कर
39. कृषि योग्य भूमि के अलावे अन्य सम्पत्तियों के हस्तान्तरण; करारनामों व पट्टों व अभिलेखों का पंजीकरण।
40. अनुबन्ध, साझेदारी, एजेंसी (आढ़त), विवाह के अनुबन्ध व अन्य।
    विशेष प्रकार के करार।
41. न्यास व न्यासी।
42. वन व जंगल।
43. खाद्य पदार्थ व अन्य वस्तुओं में मिलावट।
44. जहर व औषधियाँ, अफीम सम्बन्धी।
45. आर्थिक व सामाजिक आयोजन।
46. सम्पत्ति की अभिरक्षा, प्रबन्धन व निस्तारण।
47. सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा; रोजगार व बेरोजगारी।
48. श्रमिक कल्याण जिसमें कार्य परिस्थिति, मालिक (नियोक्ता) की जिम्मेदारी, श्रमिकों को क्षतिपूर्ति, असमर्थता व वृद्धों को दी जाने वाली सुविधाएँ व प्रसूति की सुविधाएँ।
49. शिक्षा, जिसमें प्रौद्योगिकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा व विश्वविद्यालय, श्रमिकों का व्यावसायिक व प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण।
50. कानूनी, चिकित्सा व अन्य पेशे।
51. दान व धर्मार्थ संस्थाएं, दान व धर्मादा व धार्मिक संस्थाएं।
52. छूत से फैलने वाली बीमारी, मानव, पशु व वनस्पतियों तथा खेतों को नुकसान पहुँचाने वाले विनाशकारी कीटों की रोकथाम।
53. कब्रिस्तान, श्मशान व अन्तिम संस्कार, विद्युत शवदाह गृह।

अनुसूची 3 : राज्य सूची

1. उद्योग।
2. खान व खदान।
3. प्रसार माध्यम।
4. विदेशों के साथ व्यापार।
5. परमाणु ऊर्जा व इसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संसाधन।
6. अन्तर्देशीय जहाजरानी व नौपरिचालन।
7. समुद्री जहाजरानी व नौ परिचालन।
8. प्रकाश स्तम्भ, प्रकाश पोत व संकेत दीप तथा जलपोत व वायुयान के सकुशल संचालन के लिए आवश्यक अन्य व्यवस्थाएं।
9. बन्दरगाह।
10. बन्दरगाह में संसर्ग निरोध जिसमें सम्बन्धित अस्पताल व नौ–अस्पताल भी समाविष्ट है।
11. वायुमार्ग; वायुयान व उनका परिचालन।
12. रेल्वे, समुद्र व वायु द्वारा सवारियों व सामान का परिवहन।

13. खान, खदान व खनिज विकास।
14. खान व तेल क्षेत्रों में श्रमिकों व सुरक्षा का नियमन।
15. क्षेत्रीय जल से परे मत्स्य ग्रहण व मत्स्य पालन।
16. कॉपीराइट : ट्रेड मार्क व व्यावसायिक चिह्न।
17. प्राचीन व ऐतिहासिक धरोहर व उनके अभिलेख, पुरातात्विक स्थल व उनके अवशेष।
18. आवारागर्दी; प्रव्राजी व प्रवासी कबीले।
19. पागलपन व मानसिक कमी।
20. व्यावसायिक व औद्योगिक एकाधिकार, गठजोड़ व न्यास।

अनुसूची –4 केन्द्र सूची

1. भारत की सुरक्षा।
2. नौसेना, थल सेना व वायु सेना; संघ का कोई और हथियार बन्द बल।
3. छावनी क्षेत्रों का सीमा निर्धारण।
4. परराष्ट्र मसेल।
5. अन्तर्राष्ट्रनीति, दौत्य व व्यापार में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व।
6. विदेश व्यापार के नीतिगत मामले।
7. नागरिकता, नागरिक अंगीकरण व विदेशी।
8. प्रत्यर्पण।
9. भारत में प्रवेश व आव्रजन तथा भारत से निष्कासन, राहदारी व वीजा (राष्ट्र प्रवेशपत्र)
10. समुद्र तथा वायु में किए गए अपराध व डकैतियाँ
11. मुद्रा, मुद्रा टंकण, वैध–मुद्रा, विदेशी मुद्रा।
12. भारतीय रिजर्व बैंक।
13. डाक व तार विभाग की नीतियाँ।
14. डाक घर बचत बैंक।

अध्याय 14
वैधानिक प्रक्रिया

अनुच्छेद 14.1 : किसी भी कानून को बनाने के लिए यथोचित अधिकरण के सम्मुख निम्न तथ्यों को जिनमें विधेयक के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर और अच्छी तरह समझकर कि (क) सम्बन्धित कानून की आवश्यकता क्यों हैं। (ख) यह जनता को किस प्रकार लाभान्वित करेगी। (ग) यह किस तरह शोषण का निराकरण व शमन करेगी तथा किस प्रकार निहित स्वार्थों का शमन करेगी। (घ) इस कानून के दुरुपयोग की क्या–क्या सम्भावनाएँ हैं तथा इस कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या–क्या प्रावधान हं। (ड) और इस तरह की कोई भी सम्बंधित सूचनाओं के साथ प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जाएगा।

अनुच्छेद 14.2 : ग्रामसभा के लिए–गाँव में कानून बनाने के लिए ग्राम पंचायत के किसी भी सदस्य द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है।

ग्रामसभा के दस प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं के द्वारा लिखित रूप से हस्ताक्षरित प्रस्ताव स्वतः ही ग्रामसभा के सम्मुख विचार के लिए प्रस्तुत माना जायेगा।

अनुच्छेद 14.3 : जिला पंचायत के लिए–जिला में कोई भी कानून बनाने के लिए जिला पंचायत के किसी भी सदस्य द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। या दस प्रतिशत ग्रामसभाओं द्वारा लिखित रूप से पारित प्रस्ताव स्वतः ही जिला पंचायत के सम्मुख विचार के लिए प्रस्तुत माना जाएगा।

जिले के किसी भी नागरिक द्वारा तैयार किया गया व जिले के एक प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं द्वारा हस्ताक्षर किया गया कोई भी ऐसा विधेयक स्वतः ही जिला पंचायत के सम्मुख विचार के लिए प्रस्तुत माना जाएगा।

अनुच्छेद 14.4 : राज्य सरकार के लिए – राज्य में कोई भी कानून बनाने के लिए विधानसभा का कोई भी सदस्य विधेयक प्रस्तुत कर सकता है।

या 20 प्रतिशत जिला पंचायतों द्वारा लिखित रूप से पारित विधेयक स्वतः ही विधानसभा के सम्मुख विचार के लिए प्रस्तुत माना जायेगा।

उन तालुका पंचायतों द्वारा, जो राज्य की 20 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करते हों, लिखित रूप से पारित प्रस्ताव स्वतः ही विधान सभा के सम्मुख विचार के लिए प्रस्तुत माना जाएगा।

अनुच्छेद 14.5 : संघीय सरकार के लिए – संघ के लिए कोई भी कानून बनाने के लिए लोकसभा का कोई भी सदस्य विधेयक प्रस्तुत कर सकता है।

उन राज्यों की सरकारों, जो देश की 20 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करती हों –द्वारा लिखित रूप से पारित विधेयक स्वतः ही लोकसभा के सम्मुख विचार के लिए प्रस्तुत माना जाएगा।

या उन जिला पंचायतों द्वारा, जो संघ की आबादी के 20 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती हों, लिखित रूप से पारित प्रस्ताव स्वतः ही लोकसभा के सम्मुख विचार के लिए प्रस्तुत माना जाएगा।

अनुच्छेद 14.6 : ग्रामसभा, जिला पंचायत, विधानसभा या लोक सभा में ऊपर लिखित किसी भी प्रकार का विधेयक जहाँ तक हो सके निर्विरोध रूप से पारित होना चाहिए।

अनुच्छेद 14.7 : यदि कोई विधेयक निर्विरोध रूप से पारित न हो सके तो इसे कानून बनने के लिए जनता की लोकतांत्रिक इच्छाओं का सम्मान करते हुए 80 प्रतिशत बहुमत से पारित होना आवश्यक है।

अनुच्छेद 14.8 : (क) ग्रामसभा में ऊपर लिखित कोई भी विधेयक यदि कम से कम 80 प्रतिशत बहुमत से पारित नहीं होता है तो इसका त्याग कर देना चाहिए और यह विधेयक कानून नहीं बन सकता है।

(ख) यदि जिला पंचायत में कोई बिल कम से कम 80 प्रतिशत बहुमत से पास न हो सके तो इस बिल को जिले की सम्पूर्ण ग्रामसभाओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यदि जिले की 70 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्रामसभाओं द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है तो इस विधेयक को जिला पंचायत द्वारा पारित माना जायेगा और यह विधेयक कानून बन जाएगा।

(ग) विधानसभा में कोई भी विधेयक यदि 80 प्रतिशत बहुमत से पारित न हो सके तो यह विधेयक राज्य की सम्पूर्ण जिला पंचायतों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। यदि राज्य की 70 प्रतिशत जनसंख्या का

प्रतिनिधित्व करने वाली जिला पंचायतों द्वारा विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो इसे विधानसभा द्वारा पारित माना जाएगा।
(घ) लोकसभा में कोई भी विधेयक यदि 80 प्रतिशत बहुमत से पारित न हो सके तो यह विधेयक सभी विधानसभाओं के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। यदि राष्ट्र की 60 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली विधानसभाओं द्वारा विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो इसे लोकसभा द्वारा पारित माना जाएगा।
अनुच्छेद 14.9 : (क) यदि भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी विशेष विधेयक को पारित करने में अनुच्छेद 14.2 में दी गई व्यवस्था भारत की जनता की वास्तविक लोकतांत्रिक इच्छा को प्रतिबिम्बित नहीं करती, तो वह निर्वाचन आयोग को खुले जनमत द्वारा उस विधेयक विशेष के कानून बनने या न बनने पर जनमत संग्रह कराने के लिए निर्देशित कर सकता है।
(ख) यदि किसी राज्य के 'राजप्रमुख' को ऐसा लगता है कि किसी विशेष विधेयक को पारित करने में अनुच्छेद 14.2 में दी गई व्यवस्था राज्य की जनता की वास्तविक लोकतांत्रिक इच्छा को प्रतिबिम्बित नहीं करती, तो वह निर्वाचन आयोग को खुले जनमत द्वारा उस विधेयक विशेष के कानून बनने या न बनने के लिए जनमत संग्रह कराने के लिए निर्देशित कर सकता है।
(ग) यदि जिला पंचायत प्रमुख को ऐसा लगता है कि किसी विशेष विधेयक को पारित करने में अनुच्छेद 14.2 में दी गई व्यवस्था राज्य की जनता की वास्तविक लोकतांत्रिक इच्छा को प्रतिबिम्बित नहीं करती तो वह निर्वाचन आयोग को खुले जनमत द्वारा उस विधेयक विशेष के कानून बनने या न बनने के लिए जनमत संग्रह कराने के लिए निर्देशित कर सकता है।
अनुच्छेद 14.10 : अनुच्छेद 14.9 की परिस्थिति में निर्वाचन आयोग जिला, राज्य या राष्ट्र (जैसी परिस्थिति हो) में खुले जनमत संग्रह की व्यवस्था करेगा। इसके लिए वह जनता को 30 दिन की सूचना देगा और प्रेसनोटों व संचार माध्यमों के द्वारा विधेयक के उद्देश्यों का विज्ञापनों में खर्च किए बिना यथोचित प्रचार करेगा।
अनुच्छेद 14.11 : खुले जनमत संग्रह में यदि 55 प्रतिशत लोग विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं तो यह विधेयक कानून बन जायेगा।

अध्याय 15
शक्ति के दुरुपयोग के लिए दण्ड

अनुच्छेद 15.1 : कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि अपने निजी फायदे के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो वह दण्ड से नहीं बच सके।
अनुच्छेद 15.2 : शक्ति के दुरुपयोग के मामले में यदि संदेहास्पद स्थिति बनती हो तो किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को शंका का लाभ नहीं मिलना चाहिए। सत्ता के दुरुपयोग के ठोस सबूत की आवश्यकता नहीं है।
अनुच्छेद 15.3 : शक्ति के दुरुपयोगों के मामले में दण्ड निम्नांकित प्रकार का हो सकता है (1) सभी प्रकार की सम्पत्तियों की जब्ती (2) कारावास (3) न्यायपालिका द्वारा निर्णीत प्रकरण विशेष के लिए कोई भी दण्ड, जिसमें मृत्युदण्ड भी शामिल है।
अनुच्छेद 15.4 : दण्ड, अनुच्छेद 15.3 में वर्णित दण्डों में से कोई या दो या सभी प्रकार के हो सकते हैं।
अनुच्छेद 15.5 : सम्पत्ति की जब्ती के मामले में चुनाव लड़ने के पहले प्रतिनिधि द्वारा घोषित सम्पत्ति की जब्ती नहीं हो सकती। अवैधानिक रूप से अर्जित की गई अतिरिक्त सम्पत्ति की ही जब्ती हो सकेगी।
अनुच्छेद 15.6 : सुनवाई का मौका दिए बिना किसी को भी कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता है।
अनुच्छेद 15.7 : अभियोग का सामना करने वाला प्रतिनिधि किसी वकील या कानूनी व्यवसायी को अपने बचाव के लिए नियुक्त नहीं कर सकता।

अनुच्छेद 15.8 : किसी भी राष्ट्रीय, राज्यस्तर या जिलास्तर के निर्वाचित प्रतिनिधि के विरोध में शक्ति के दुरुपयोग की शिकायत की सुनवाई करने व उस पर निर्णय देने के लिए जिला न्याय समिति एक सक्षम अधिकरण होगी।

अनुच्छेद 15.9 : किसी भी जिला ताल्लुका या ग्राम स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधी के विरोध में शक्ति के दुरुपयोग की शिकायत की सुनवाई करने व उस पर निर्णय देने के लिए ग्रामन्यायपंच एक सक्षम अधिकरण होगा।

अनुच्छेद 15.10 : भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राष्ट्रीय, राज्य, जिला व ग्राम स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधि के भ्रष्टाचार व शक्ति के दुरुपयोग की शिकायत कर सकता है।

अनुच्छेद 15.11 : प्रभाव व शक्ति के दुरुपयोग की सम्भावना रखने वाले किसी भी नियोजित पद को निर्वाचित प्रतिनिधियों के बराबर माना जा सकता है और उसके विरोध में शिकायत की जा सकती है और उसको दण्ड दिया जा सकेगा।

अनुच्छेद 15.12 : ग्राम न्यायपंच या जिला न्याय समिति द्वारा शक्ति के दुरुपयोग में दिए गए निर्णय व दण्ड से असंतुष्ट होने पर कोई भी व्यक्ति उच्चतर न्यायिक अधिकरण के सम्मुख प्रतिवेदन दे सकता है।

अनुच्छेद 15.13 : राज्य न्याय परिषद द्वारा शक्ति के दुरुपयोग में दिए गए निर्णय व दण्ड से असंतुष्ट होने पर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय न्याय सभा में प्रतिवेदन कर सकता है।

अनुच्छेद 15.14 : किसी भी गाँव या शहर में हरिजनों और तथाकथित अछूत लोगों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से कोई भी कानून बनाने के प्रयास भले ही हो, 80 प्रतिशत बहुमत या सर्वसम्मति से हो, को शक्ति का दुरूपयोग माना जायेगा और दण्डनीय होगा।

अनुच्छेद 15.15 : किसी भी सरकार या अधिकरण द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों विदेशी सरकार या स्वदेशी बड़ी कम्पनियों को जनसाधारण के हितों के मूल्य पर किसी भी प्रकार का अनुचित व नाजायज अनुग्रह–जो कि सर्वसाधारण द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सके–तो ऐसे अनुग्रह को राष्ट्रद्रोह माना जाएगा तथा इसके लिए राष्ट्रीय न्याय सभा के विवेकानुसार कठोरतम दण्ड दिया जायेगा, जो मृत्युदण्ड भी हो सकता है।

अध्याय 16
शिक्षा–संस्कृति व नैतिकता

अनुच्छेद 16.1 : शिक्षा, चरित्र निर्माण व देशप्रेम की प्रेरणा देने वाली होगी।

अनुच्छेद 16.2 : सभी सरकारें शिक्षा को महात्मा गाँधी के इच्छानुरूप स्वावलम्बी बनाने के लिए सतत् प्रयत्नशील रहेंगी।

अनुच्छेद 16.3 : कोई भी सरकार किसी भी ऐसे शैक्षिक संस्थान को, जिसमें शिक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा वहाँ की मातृभाषा न हो, किसी भी प्रकार से प्रोत्साहित नहीं करेगी। और न ही ऐसे किसी भी प्रोत्साहन को स्वीकृति देगी।

अनुच्छेद 16.4 : कोई भी सरकार माध्यमिक शिक्षा या उच्चतर शैक्षणिक संस्थान या किसी विश्वविद्यालय को किसी भी ऐसे पाठ्यक्रम के लिए कोई अनुदान नहीं देगी जो पूर्ण रूप से व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण से सम्बधित न हो ।

अनुच्छेद 16.5 : कोई भी सरकार ऐसे किसी भी शैक्षणिक संस्थान को कार्य करने की अनुमति नहीं देगी जो धर्मान्तरण को प्रोत्साहित करती हो या दूसरे धर्मों के प्रति घृणा का भाव पैदा करती हो।

अनुच्छेद 16.6 : कोई भी सरकार, विशेष रूप से उच्च व समृद्ध वर्ग के लोगों के लिए खुले हुए शैक्षणिक संस्थाओं को, जो जनसाधारण की आर्थिक पहुँच के बाहर हों, को कार्य करने की अनुमति नहीं देगी, जब तक कि वे गरीब हरिजनों, गरीब पिछड़े व समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान नहीं रखतीं।

अनुच्छेद 16.7 : कोई भी सरकार आधारभूत धार्मिक शिक्षा जैसे कि भगवद्गीता, कुरान, बाईबल इत्यादि को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर कोई आपत्ति नहीं करेगा।

अनुच्छेद 16.8 : कोई भी सरकार माध्यमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा को निःशुल्क करने की जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करेगी।

अनुच्छेद 16.9 : भारत के हरेक माध्यमिक विद्यालय में महात्मा गांधी द्वारा लिखित कम से कम दो पुस्तकों को पढ़ाना अनिवार्य होगा।

अनुच्छेद 16.10 : शिक्षा, मानव चरित्र के सम्पूर्ण विकास व मानवाधिकार तथा मौतिक स्वतंत्रता के प्रति समादर को दृढ़ करने की दिशा में होगी। यह देश में तथा विश्व में समझदारी, सहनशीलता व मित्रता को प्रोत्साहित करेगी। इस सिद्धांत का उल्लंघन करने वाली शिक्षा, शिक्षा नहीं है।

अनुच्छेद 16.11 : सरकारें, सम्पूर्ण भारतवर्ष में कठोरता के साथ शराबबंदी करेंगी। इसमें शराबयुक्त पेयों का उत्पादन, विक्रय, प्रदर्शन व संग्रह पर पाबंदी भी शामिल है।

अनुच्छेद 16.12 : सरकारें, क्रिकेट पर पूर्ण पाबंदी लगाएंगी जिसमें क्रिकेट मैच व इसके प्रसारण, चाहे वह भारत में खेले जा रहे हों या भारत के बाहर, भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 16.13 : सरकार, जुआ, सट्टेबाजी, लाटरी या ऐसे कोई क्रिया–कलाप जिसमें जुआ या सट्टे की सम्भावना हो, पर प्रतिबंध लगाएगी।

अनुच्छेद 16.14 : सरकार धूम्रपान, गुटखा व तम्बाकू पर सम्पूर्ण राष्ट्र में – निजी आवासों को छोड़कर – प्रतिबंध लगाएगी।

अनुच्छेद 16.15 : कोई भी सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धूम्रपान, गुटखा व तम्बाकू को प्रोत्साहित नहीं करेगी तथा ऐसी खराब वस्तुओं के लिए किसी भी प्रकार के प्रचार की अनुमति नहीं प्रदान करेगी।

अनुच्छेद 16.16 : कोई भी सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से महिलाओं के प्रति अपमानजनक किसी वस्तु का विज्ञापन या लेख के प्रकाशन व इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों में ऐसे दृश्यों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं देगी।

अनुच्छेद 16.17 : सरकार फैशन व महिलाओं तथा कन्याओं के अश्लील परिधानों, जो भारतीय संस्कृति के साथ सुसंगत न हों, पर प्रतिबंध लगा सकती है।

अनुच्छेद 16.18 : कोई भी सरकार राष्ट्र के नैतिक ताने–बाने को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी सार्वजनिक क्रिया–कलाप को अनुमति नहीं देगी।

अध्याय – 17 वेतन

अनुच्छेद 17.1 : कोई भी वेतन पद से सम्बद्ध नहीं होगा। अपितु प्रत्येक मामलों में व्यक्ति विशेष से सम्बद्ध होगा।

अनुच्छेद 17.2 : किसी भी व्यक्ति के लिए वेतन निर्धारित करने के लिए 'सरकार पर प्रतिबंध' खण्ड में उल्लिखित संवैधानिक प्रतिबंध लागू होंगे।

अनुच्छेद 17.3 : यह आशा की जाती है कि सरपंच, ग्राम प्रतिनिधि व न्यायपंच के अध्यक्ष गाँव की सेवा जनहित की भावना के साथ करेंगे और यदि उनकी पारिवारिक आय परिवार के भरण–पोषण के लिए पर्याप्त हो तो वे किसी भी प्रकार का वेतन नही ग्रहण करेंगे।

अनुच्छेद 17.4 : अनुच्छेद 17.3 में उल्लेखानुसार आय पर्याप्त न पड़ती हो और यदि सरपंच, ग्राम प्रतिनिधि, न्यायपंच के अध्यक्ष को पूर्णकालिक रूप से काम करना पड़ता हो तो ग्रामसभा द्वारा नियुक्त वेतन समिति वैयक्तिक रूप से उनकी व उनके परिवार की आय व सम्पत्ति पर समुचित ध्यान देते हुए उनके वेतन का निर्णय करेंगे। यह विशेष वेतन समिति पाँच सदस्यीय होगी। इसकी तीन सदस्याएं अनिवार्यतः गाँव की गरीब महिलाएं होंगी।

अनुच्छेद 17.5 : ग्रामपंचायत के सदस्य या ग्रामसभा द्वारा नियुक्त किसी भी समिति के सदस्य किसी भी प्रकार का वेतन ग्रहण नहीं करेंगे। तथापि ग्राम पंचायत या किसी भी समिति के किसी भी सदस्य को पूर्णकालिक कार्य करना हो और यदि उसकी आय उसके परिवार के भरण–पोषण के लिए पर्याप्त न पड़ती हो तो न्यायपंच ऐसे पूर्णकालिक कार्यकर्त्ताओं को उनकी आय व उनके परिवार की सम्पत्ति पर समुचित ध्यान देकर उनको एक लम–सम पारितोषिक का अनुदान देगी।

अनुच्छेद 17.6 : ताल्लुका (तहसील) पंचायत द्वारा नियुक्त की गई विशेष वेतन समिति ताल्लुका पंचायत के अध्यक्ष, ताल्लुका प्रतिनिधि व ताल्लुका न्याय समिति के अध्यक्ष के व्यक्तिगत आय तथा उनके व उनके परिवार के सदस्यों की सम्पत्ति पर समुचित ध्यान देते हुए वैयक्तिक रूप से उनके वेतनों का निर्धारण करेगी। विशेष वेतन समिति सात सदस्यीय होगी जो विभिनन गाँवों के होंगे और इसके चार सदस्य अनिवार्यतः विभिन्न गाँवों की गरीब औरतें होंगी। वेतन समिति के ऐसे सदस्यों की अनुशंसा भिन्न–भिन्न न्यायपंच करेंगे।

अनुच्छेद 17.7 : ताल्लुका पंचायत या ताल्लुका पंचायत द्वारा नियुक्त किसी अन्य समिति के सदस्य किसी भी प्रकार का वेतन ग्रहण नहीं करेंगे। तथापि ताल्लुका पंचायत या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी समिति का कोई भी सदस्य यदि पूर्णकालिक रूप से कार्यकर्त्ता हो और उसकी आय उसके परिवार के भरण–पोषण के लिए पर्याप्त न पड़ती हो तो उसकी आय तथा उसके व उसके परिवार के सदस्यों की सम्पत्ति पर ध्यान देते हुए ताल्लुका न्याय समिति एक लम–सम पारितोषिक का अनुदान निर्धारित कर सकती है।

अनुच्छेद 17.8 : जिला पंचायत द्वारा निर्धारित एक विशेष वेतन समिति जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला प्रतिनिधि व जिला न्याय समिति के अध्यक्ष के अन्य स्रोतों से आय तथा उनके व उनके परिवार के सदस्यों की सम्पत्ति पर समुचित ध्यान देते हुए वयौक्तिक रूप से वेतनों का निर्धारण करेगी। विशेष वेतन समिति सात सदस्यीय हो, जो विभिन्न गाँवों से होंगे। तथा इनमें से चार सदस्याएं भिन्न–भिन्न गाँवों की चार गरीब महिलाएं होंगी। इन सदस्यों की अनुशंसा भिन्न–भिन्न ताल्लुका न्याय समितियाँ करेंगी।

अनुच्छेद 17.9 : जिला पंचायत या जिला पंचायत द्वारा नियुक्त किसी भी समिति के कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार का वेतन ग्रहण नहीं करेंगे। तथापि जिला पंचायत या किसी भी समिति के किसी भी सदस्य की अन्य स्रोतों से आय उसके व उसके परिवार के भरण–पोषण के लिए पर्याप्त न हो तो उसकी आय तथा उसके व उसके परिवार के सदस्यों की सम्पत्ति को ध्यान में रखकर जिला न्याय समिति एक लम–सम पारितोषिक का अनुदान निर्धारित कर सकती है।

अनुच्छेद 17.10 : राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशिष्ट वेतन समिति 'राज्य प्रमुख' व राज्य न्याय परिषद के अध्यक्ष के अन्य स्रोतों से आय तथा उनके व उनके परिवार के सदस्यों की सपत्ति को ध्यान में रखते हुए वैयक्तिक रूप से इनका वेतन निर्धारित करेगी। विशेष वेतन समिति सात सदस्यीय होगी। जिसके

सदस्य विभिन्न गाँवों व शहरों से लिए जायेंगे। जिसमें से चार महिला सदस्य होंगी। वेतन समिति के इन सदस्यों की अनुशंसा विभिन्न जिला न्याय समितियाँ करेंगी।
अनुच्छेद 17.11 : राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी समिति का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार का वेतन ग्रहण नहीं करेगा। तथापि इस प्रकार से नियुक्त किसी भी सदस्य को पूर्णकालिक रूप से काम करना पड़े और यदि उसकी अन्य स्रोतों से आय उसके परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त न पड़ती हो तो राज्य न्याय परिषद ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों के लिए उसके अन्य स्रोतों से आय तथा उसके और उसके परिवार के सदस्यों की सम्पत्ति को ध्यान में रखते हुए एक लम–सम पारितोषिक का अनुदान तय कर सकती है।
अनुच्छेद 17.12 : भारत के राष्ट्रपति व राष्ट्रीय न्यायसभा के अध्यक्ष के वेतन केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेष वेतन समिति, इनके अन्य स्रोतों से आय तथा उनकी व उनके परिवार की सम्पत्ति को ध्यान में रखते हुए वैयक्तिक रूप से करेगी। विशिष्ट वेतन समिति विभिन्न राज्यों से लिए गये सात सदस्यों की होगी जिसमें चार अनिवार्य रूप से महिलाएं होंगी। वेतन समिति के ऐसे सदस्यों की अनुशंसा विभिन्न न्याय परिषदें करेंगी।
अनुच्छेद 17.13 : केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी समिति का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार का वेतन ग्रहण नहीं करेगा। तथापि किसी भी समिति के किसी भी सदस्य को पूर्णकालिक रूप से काम करना पड़े तथा उसकी अन्य स्रोतों से आय उसके परिवार के भरण–पोषण के लिए पर्याप्त न पड़ती हो तो राष्ट्रीय न्याय सभा उसकी आय व उसके तथा उसकी परिवार की सम्पत्ति को ध्यान में रखते हुए एक लम–सम अनुदान निर्धारित कर सकती है।
अनुच्छेद 17.14 : किसी भी नियुक्त व्यक्ति का वेतन नियुक्ति के अनुबंध के ही भाग के रूप में वैयक्तिक रूप से निर्धारित होगा तथा इसमें 'सरकार पर प्रतिबंध' में उल्लिखित संवैधानिक प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे।
अनुच्छेद 17.15 : जहाँ तक सम्भव हो सरकार के सारे काम अनुबंधों द्वारा ही होंगे, ताकि वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या कम से कम हो।

अध्याय 18
सम्पत्तियाँ व प्राकृतिक संसाधन

अनुच्छेद 18.1 : भारत की जनता, भारत के सम्पूर्ण सम्पत्ति व प्राकृतिक संसाधनों की वास्तविक स्वामी है। ग्राम्य स्तर से संघीय स्तर तक की सभी सरकारें, इन सम्पत्तियों व प्राकृतिक संसाधनों की प्रशासक मात्र हैं। कोई भी सरकार किसी भी सम्पत्ति या प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व का दावा नहीं कर सकती।

अनुच्छेद 18.2 : किसानों के आधिपत्य वाली सम्पूर्ण कृषि योग्य के स्वामी किसान ही हं। कोई सरकार किसी भी किसान के कृषि योग्य भूमि का उसकी मंजूरी के बगैर अधिग्रहण नहीं कर सकती, जब तक कि राष्ट्रीय न्याय सभा द्वारा भारत की सुरक्षा के लिए इस तरह का कोई स्पष्ट कारण न दिया गया हो। ऐसी अवस्था में सम्बंधित किसान को उसकी जमीन के बाजार भाव का भुगतान किया जाएगा। और इसके अलावा उसको अन्यत्र वैकल्पिक भूमि देना होगा।

अनुच्छेद 18.3 : गाँव के क्षेत्र में आने वाली सम्पूर्ण सार्वजनिक गैर कृषि योग्य भूमि पर ग्रामसभा का स्वामित्व होगा और यही इसका प्रशासन भी करेगी।

अनुच्छेद 18.4 : गाँव के क्षेत्र में आने वाले सभी सार्वजनिक जल संसाधन पर ग्रामसभा का स्वामित्व व अधिशासन होगा।

अनुच्छेद 18.5 : गाँव के क्षेत्र में आने वाले सम्पूर्ण सार्वजनिक जंगलों पर ग्रामसभा का स्वामित्व व अधिशासन होगा।

अनुच्छेद 18.6 : केन्द्रीय सरकार के सभी सार्वजनिक कायलियों पर केन्द्र सरकार का ही स्वामित्व होगा, चाहे वे किसी भी गाँव, कस्बे या शहर में बसे हों।

अनुच्छेद 18.7 : राज्य सरकार के सभी सार्वजनिक कार्यालयों पर राज्य सरकार का ही स्वामित्व होगा चाहे वे किसी भी गाँव, कस्बे या शहर में हों।

अनुच्छेद 18.8 : जिला पंचायत के सभी सार्वजनिक कार्यालयों पर जिला पंचायत का स्वामित्व होगा चाहे वे किसी भी गाँव, कस्बे या शहर में हों।

अनुच्छेद 18.9 : ताल्लुका पंचायत के सभी...........उपरोक्त।

अनुच्छेद 18.10 : सम्पूर्ण सार्वजनिक मार्ग जिसमें राज मार्ग, राज्य मार्ग व जिला स्तरीय मार्ग शामिल हं, सम्पूर्ण भारत की जनता की साझी सम्पत्ति हं। और कोई भी गाँव, कस्बा या कोई सरकार विशेष उस पर 'एकमात्र स्वामित्व' का दावा नहीं कर सकती है।

अनुच्छेद 18.11 : भारत के सम्पूर्ण सार्वजनिक बंदरगाह भारत की जनता की साझी सम्पत्ति हं। और कोई भी गाँव, कस्बा या कोई सरकार विशेष उस पर 'एकमात्र स्वामित्व' का दावा नहीं कर सकती है।

अनुच्छेद 18.12 : सम्पूर्ण प्राकृतिक संसाधन जैसे कि नदियाँ, पर्वत, जंगल, खदानें इत्यादि भारत की जनता की साझी सम्पत्ति हैं। और कोई भी गाँव, कस्बा या कोई सरकार विशेष उस पर 'एक मात्र स्वामित्व' का दावा नहीं कर सकती है।

अनुच्छेद 18.13 : किसी भी खास समुदाय को दूसरे समुदाय के मूल्य पर लाभ पहुँचाने के लिए कोई भी केन्द्र सरकार राज्य सरकार या जिला पंचायत प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की योजना नहीं बना सकती है।

अनुच्छेद 18.14 : प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व पर्यावरण की सुरक्षा पर यथोचित ध्यान देते हुए, किसी भी प्राकृतिक संसाधन के उपयोग का प्रथम अधिकार स्थानीय जनता को 'जीवनयापन मात्र' के लिए (मुनाफा कमाने के लिए नहीं) है।

अध्याय 19
उद्योग

अनुच्छेद 19.1 : भारत का प्रत्येक नागरिक भारत में कहीं भी गृह एवं कुटीर उद्योग की स्थापना कर सकता है। इस प्रकार के गृह एवं कुटीर उद्योगों पर कोई भी सरकार किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती है और न ही उन पर कोई कर लगा सकती है।
अनुच्छेद 19.2 : तेल पेराई, सूत की ओटाई, धान की कुटाई, सूत कताई व कपड़ा बुनाई इत्यादि के सारे कार्य मात्र कुटीर उद्योगों द्वारा ही होंगे। कोई भी व्यक्ति, कम्पनी या साझेदारी की फर्म इन व्यवसायों को कुटीर उद्योग से बड़े स्तर पर नहीं खोल सकते।
अनुच्छेद 19.3 : कोई भी वस्तु जिसका उत्पादन कुटीर उद्योग के स्तर पर हो सकता हो उसका कुटीर उद्योग से बड़े स्तर पर निर्माण नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 19.4 : कोई भी वस्तु जिसका उत्पादन कुटीर उद्योग में नहीं किया जा सकता परन्तु जिसका उत्पादन ग्राम स्तरीय लघु उद्योगों में किया जा सकता है, उसे ग्रामस्तरीय लघु उघोगों से बड़े स्तर पर उत्पादित नहीं किया जा सकता। चीनी उद्योग, सीमेण्ट उद्योग, चूना उद्योग इत्यादि इस वर्ग में आते हैं।
अनुच्छेद 19.5 : कोई भी वस्तु, जो ग्राम स्तरीय लघु उद्योगों में उत्पादित नहीं की जा सकती, को गाँव व ताल्लुकाओं के सहकारी समितियों के संगठन द्वारा स्थापित किया जा सकता है।
अनुच्छेद 19.6 : भारत के लोगों द्वारा निर्माण व उत्पादन की जा सकने वाली वस्तुएं किसी भी विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम लगाकर उत्पादित नहीं की जा सकती हैं।
अनुच्छेद 19.7 : भारतीय जनता की किसी भी सहकारी समिति द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली वस्तु किसी लिमिटेड कम्पनी द्वारा उत्पादित नहीं की जा सकती है।
अनुच्छेद 19.8 : भारतीयों द्वारा विदेशी तकनीकी सहयोग से बनाई जा सकने वाली किसी भी वस्तु का आयात नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 19.9 : जहाँ तक सम्भव हो, कोई भी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या जिला प्रशासन किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करेगी।
अनुच्छेद 19.10 : जहाँ तक सम्भव हो सके, प्रत्येक ग्राम पंचायत हर उस वस्तु का निर्माण करेगी जिसका उत्पादन व्यक्तिगत रूप से सम्भव न हो और जिसका उत्पादन उस गाँव में ग्राम स्तर पर करना सम्भव हो।

अध्याय 20
व्यवसाय एवं वाणिज्य

अनुच्छेद 20.1 : भारत का प्रत्येक नागरिक भारत में कहीं भी व्यावसायिक या वाणिज्यिक क्रिया–कलापों के लिए स्वतंत्र है। कोई भी सरकार ऐसे क्रिया–कलापों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती।
अनुच्छेद 20.2 : कोई भी लिमिटेड कम्पनी किसी भी कृषि सम्बन्धी एवं उपभोक्ता सामग्री के व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक क्रिया–कलाप में शामिल नहीं हो सकती।
अनुच्छेद 20.3 : कोई भी लिमिटेड कम्पनी, साझेदारी की फर्म, कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का संगठन कमीशन की श्रृंखला व्यवस्था से सम्बंधित कोई भी ऐसा व्यावसायिक और वाणिज्यिक क्रिया–कलाप नहीं कर सकता, जिसमें कोई एक नियुक्त अभिकर्ता दूसरे अभिकर्त्ताओं की नियुत्ति और फिर वे आगे अन्य अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति करते हों और प्रथम अभिकर्त्ता ऐसे श्रृंखला व्यवस्था में नियुक्त सारे अभिकर्त्ताओं से कशेशन प्राप्त करता हो।
अनुच्छेद 20.4 : कोई भी व्यक्ति भौतिक आवश्यकताओं व खाद्य वस्तुओं का निर्यात नहीं कर सकता, जब तक कि देश में उसकी उपलब्धता आवश्यकता से अधिक न हो।
अनुच्छेद 20.5 : कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के मांस उत्पाद का निर्यात नहीं करेगा।
अनुच्छेद 20.6 : प्रत्येक ग्राम या कस्बा, खाद्य सामग्री, अनाज, दाल व प्राथमिक आवश्यकताओं की अन्य वस्तुओं के भण्डारण की सुविधा सृजित करेगा और इन्हें किसानों, गाँववासियों तथा उसी गाँव व शहर के निवासियों को किसी लाभ या हानि के बगैर मुहैया करायेगा।

अध्याय 21
बैकिंग व वित्त

अनुच्छेद 21.1 : प्रत्येक बैंक अपनी वित्तीय सहायता का 80 प्रतिशत कुटीर उद्योगों को ही देने की प्राथमिक जिम्मेदारी का वहन करेगा।
अनुच्छेद 21.2 : कुटीर उद्योगों व ग्राम्य स्तरीय लघु उद्योगों की जब तक वित्तीय माँग रहेगी तब तक कोई भी बैंक किसी लिमिटेड कम्पनी को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर सकता है।
अनुच्छेद 21.3 : बीमा कम्पनियों पर भी वही शर्तें लागू हैं जो बैंकों पर लागू हैं।
अनुच्छेद 21.4 : बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय कम्पनियों पर अनुच्छेद 3.4 से 3.11 तक की शर्तें अनिवार्य रूप से प्रभावी रहेंगी।

अध्याय 22
भाषा

अनुच्छेद 22.1 : देवनागरी लिपि में 'हिन्दी' संघ की आधिकारिक भाषा रहेगी।
अनुच्छेद 22.2 : किसी भी राज्य के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा उस राज्य की आधिकारिक भाषा रहेगी।
अनुच्छेद 22.3 : यदि किसी राज्य में एक से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं तथा दूसरे भाषा–भाषियों की जनसंख्या 30 प्रतिशत या उससे ज्यादा हो तो दोनों ही भाषाएं प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं होंगी।
उदाहरण : मुम्बई शहर एक राज्य माना जाता है। अधिकतर लोग मराठी बोलते हैं परन्तु गुजराती जनसंख्या भी 30 प्रतिशत से ज्यादा है। अतः गुजराती भी मुम्बई शहर की आधिकारिक भाषा होगी।
अनुच्छेद 22.4 : किसी भी राज्य में यदि 10 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या यदि उस राज्य की आधिकारिक भाषा के अलावा दूसरी भाषा, भाषी हो तो हिन्दी उस राज्य की अतिरिक्त आधिकरिक भाषा होगी।
उदाहरण : मुम्बई शहर में कम से कम 10 प्रतिशत लोग मराठी व गुजराती के अलावा अन्य भाषा, भाषी हैं अतः हिन्दी मुम्बई शहर की अतिरिक्त आधिकारिक भाषा होगी।
अनुच्छेद 22.5 : राज्य व संघ के मध्य तथा दो राज्यों के मध्य संचार व संवाद के लिए हिन्दी अधिकारिक भाषा होगी।
अनुच्छेद 22.6 : कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत व उसके निवारण के लिए किसी भी अधिकारी या अधिकरण के सम्मुख अपना प्रतिवेदन संघ या राज्य में प्रचलित किसी भी भाषा में जैसी स्थिति हो, कर सकता है।
अनुच्छेद 22.7 : कोई भी गाँव, शहर, ताल्लुका, जिला या राज्य अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा घोषित नहीं कर सकता।
अनुच्छेद 22.8 : गाँव, ताल्लुका व जिले में सभी प्रशासनिक कार्य उसी गाँव, ताल्लुका व जिले की अधिकांश जनता द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली भाषा में होगा।

अध्याय 23 :
संविधान संशोधन

अनुच्छेद 23.1 : कोई भी जिला पंचायत, राज्य या संघ संविधान में संशोधन प्रस्तावित कर सकता है।
अनुच्छेद 23.2 : जिला, राज्य या संघ द्वारा प्रस्तावित कोई भी संशोधन

1. लोकसभा में कम से कम 80 प्रतिशत बहुमत से पारित होना चाहिए।

2. और वही विधेयक भारत की कम से 75 प्रतिशत विधानसभाओं द्वारा कम से कम 80 प्रतिशत बहुमत से पारित होना चाहिए।

3. और वही विधेयक भारत के कम से कम 60 प्रतिशत जिला पंचायतों द्वारा कम से कम 80 प्रतिशत बहुमत से पारित होना चाहिए।

इन शर्तों के पूर्ण होने पर संविधान में संशोधन मान्य व प्रभावी होगा।

अध्याय 24

न्याय के सिद्धांत

अनुच्छेद 24.1 : न्यायपालिका का केन्द्रीय सिद्धांत यह होगा कि न्याय व्यवस्था कानून आधारित न होकर, न्याय आधारित होगी। ताकि सारे निर्णय न्यायाधीशों के विवेक पर पूर्णतः इस तरह से आधारित होंगे कि न्याय का संरक्षण हो सके। भले ही कानून का संरक्षण न हो।

अनुच्छेद 24.2 : अपराधी, दोषी, कुकर्मी, राष्ट्रद्रोही तथा शक्ति व सत्ता का दुरुपयोग करने वाले किसी भी प्रकार दण्ड से नहीं बच सकेंगे।

अनुच्छेद 24.3 : कोई भी न्यायिक अधिकरण जहाँ तक सम्भव हो सके ऐसा कोई भी निर्णय नहीं देगा जिससे भारत के नागरिकों को इस संविधान द्वारा प्रदत्त 'संवैधानिक सुरक्षा' का उल्लंघन होता हो।

अनुच्छेद 24.4 : जहाँ तक सम्भव हो न्याय सर्वदा स्थानीय स्तर पर ही होगा।

अनुच्छेद 24.5 : जहाँ तक सम्भव हो न्याय सर्वदा निःशुल्क होगा।

अनुच्छेद 24.6 : सम्बंधित वादी तथा प्रतिवादियों को मौखिक रूप से सुनने के उपरांत किसी भी अधिवक्ता या अन्य बाहरी तत्वों की सहायता के बगैर न्याय अविलम्ब व तत्काल होगा।

अनुच्छेद 24.7 : निर्णय लिखित रूप में व छोटे में होगा।

अनुच्छेद 24.8 : न्यायपालिका की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि सम्पूर्ण भारत का प्रशासन इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले, यद्यपि विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय न्याय सभा और राज्य न्याय परिषद न्याय की सुरक्षा व संरक्षण के लिए अपने विवेकानुसार ऐसे निर्णयों को भी देने में स्वतंत्र हैं जिनमें इस संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन भी सम्भव हो।

अध्याय 25
संविधान की व्याख्या

अनुच्छेद 25.1 : अध्याय 3 (सरकार पर प्रतिबंध) के किसी प्रावधान व अध्याय 4 (जन्मसिद्ध अधिकार) के प्रावधानों के बीच किसी प्रकार का द्वंद फँसता हो तो अध्याय तीन के प्रावधान प्रभावी माने जायंगे।
अनुच्छेद 25.2 : यदि अध्याय 4 (जन्मसिद्ध अधिकार) के किसी प्रावधान व अध्याय 5 (सरकार को आवश्यक निर्देश) के प्रावधानों के मध्य कोई द्वंद फँसता हो तो अध्याय 4 के प्रावधान प्रभावी होंगे।

संविधान के लागू होने पर

इस संविधान के द्वारा देश भर में आने वाला परिवर्तन बड़ा ही रोचक और विस्मयकारी होगा। हमारे सार्वजनिक जीवन व समाज के विभिन्न वर्गों के अलग–अलग पहलुओं पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव के रेखांकन का मैं यहाँ एक प्रयास करूँगा।

1. किसान व ग्रामीण जनताः– ये एक खुशहाल व भयमुक्त जीवन जियंगे। उनको पुलिस, अपराधियों व गुण्डो इत्यादि द्वारा उत्पीड़न का कोई डर नहीं रहेगा। वे अपनी सुरक्षा के लिए बिना किसी अनुज्ञापत्र के बाजार से रिवाल्वर या पिस्तौल क्रय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। रिवाल्वर जिसका अद्यतन दाम डेढ़ लाख रुपये है, डेढ़ सौ रुपये मात्र में आसानी से उपलब्ध होगा। राजकोट, लुधियाना, दिल्ली, अहमदाबाद, कोयम्बटूर इत्यादि औद्योगिक केन्द्र मात्र पन्द्रह दिनों के अन्दर ही लाखों रिवाल्वरों का उत्पादन कर मात्र 150 रुपये के दाम पर विक्रय करने में पूर्णतः सक्षम हैं। इस तरह रिवाल्वर की इच्छा रखने वाला हर व्यक्ति इसे रख सकेगा व अपनी सुरक्षा कर सकेगा। आत्मरक्षा का जन्मसिद्ध अधिकार इस प्रकार का भयमुक्त जीवन ले आएगा।

2 गरीबी व बेरोजगारी :– बड़े उद्योगों पर पाबंदी के कारण भारत के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के वृहद् अवसर सृजित होंगे। गाँवों में दसियों लाख की संख्या में सूत कताई की ईकाइयाँ अस्तित्व में आएंगी। गाँव में दसियों लाख हैण्ड लूम व पावरलूम काम करना शुरू करेंगे। गाँव में शुद्ध, प्राकृतिक व ताजा खाद्य तेल प्रदत्त करने वाली लाखों छोटी तेल मिल व तेल घानियाँ काम करेंगी। लाखों चावल मिलें धान की कुटाई करेंगी। लाखों छोटे–छोटे चीनी व गुड़ कारखाने खेतों में ही स्थापित होंगी। जहाँ कहीं भी चूने के पत्थरों की उपलब्धता हो वहाँ हजारों ग्राम्य स्तर के छोटे सीमेण्ट व चूने के कारखाने काम करेंगे। लाखों लघुस्तरीय पवन चक्कियाँ व सौर ऊर्जा के संयंत्र दासियों लाख खेतों में उत्थापन सिंचाई के लिए ऊर्जा प्रदान करेंगे। इस तरह गाँवों में अरबों रुपये की सम्पत्ति का सृजन होगा। यह गाँव में वृहद् स्तर पर निर्माण के क्रिया–कलापों को गति प्रदान करेगा। जिससे सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को जीविकोयार्जन के लिए पर्याप्त रोजगार रहेगा। बेरोजगारी और गरीबी बीते समय की बात हो जाएगी। सस्ती का स्वर्ग :– प्रत्येक वस्तु की कीमत में तत्काल व तेजी से कमी आ जाएगी। चूँकि इस संविधान के लागू होते ही सभी अपरोक्ष कर स्वतः खत्म हो जाएंगे, कीमतें तत्काल गिरनी शुरू हो जाएंगी। कार, स्कूटर, ट्रक, स्टील, चीनी, चाय और अन्य वस्तुओं की कीमतें केन्द्रीय उत्पाद कर न होने के कारण एक झटके में ही पचास से पिचहत्तर प्रतिशत कम हो जाएंगी। किसी भी वस्तु पर सेल्स टैक्स न होने के कारण कीमतों में और भी गिरावट आएगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें तत्काल आधी हो जाएंगी

जिससे परिवहन की लागत कम हो जाएगी। इसका एक श्रृंखल प्रभाव पड़ेगा जो कीमतों में कमी लाएगा। आयात पर लगे प्रतिबंध रुपये के मूल्य में भारी वृद्धि करेंगे और कुछ महीनों मात्र में ही सात रुपया एक डॉलर के बराबर हो जाएगा। यह पेट्रोलियम उत्पादों को कहीं सस्ता कर देगा। अतः पेट्रोल या डीजल लागत कीमत 2 या 3 रुपये तक गिर जाएगी। इससे भी परिवहन की लागत और ज्यादा कम हो जाएगी और इसका असर अन्य दूसरी वस्तुओं की कीमतों में गिराव के रूप में होगा। इस प्रकार भारत के जनसामान्य को वास्तविक खुशी देने के लिए एक सस्ती के स्वर्ग का सृजन होगा।
व्यापारी व निर्माता :– ये लोग वास्तविक स्वराज सेलाभान्वित होने वाले समूहों में से एक होंगे क्योंकि ये ही वर्तमान नौकरशाही के सबसे शोषित शिकार हैं। इन्हें कोई भी व्यवसाय या उद्योग शुरू करने के लिए किसी सरकारी कार्यालय में निवेदन नहीं देना पड़ेगा। इन्हें किसी भी प्रकार का कर नहीं देना होगा, अतः तरह–तरह के लेखा रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हें किसी का भय नहीं होगा। अतः वर्तमान गुलामी से मुक्त होकर वे असली स्वराज का आनन्द ले सकेंगे। तकनीकी दक्षता या व्यावसायिक 'कल्पना' रखने वाला व्यक्ति सरकारी अधिकारियों की गुलामी के बगैर इसे मूर्त रूप दे सकेगा। बैंकों के पास ऐसे व्यवसाय व उद्योगों को सहायता देने के लिए पर्याप्त वित्त उपलब्ध रहेगा, क्योंकि बैंकों पर ग्रामीणों कुटीर उद्योगों और व्यवसाय मात्र के लिए सम्पूर्ण निधियों को प्रदत्त करने का नियामक रहेगा।
अध्यापक :– प्राथमिक, माध्यमिक व महाविद्यालयों के अध्यापकों के निहित स्वार्थ समाप्त हो जाएंगे। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को देने के लिए सरकार के पास कोई निधि नहीं रहेगी। अतः बिना कार्य के प्राप्त होने वाले उनके बड़े–बड़े वेतन स्वतः ही रुक जाएंगे। इससे हजारों की संख्या में प्राथमिक से लेकर महाविद्यालय व विश्व विद्यालय स्तर के शिक्षक बाजार भाव में उपलब्ध हो जाएंगे। जो लोग कर्मठ ईमानदार, रचनात्मक दिमाग वाले होंगे उनकी पूछ ज्यादा होगी और वे उच्च वेतन तथा समाज से उच्च सम्मान प्राप्त करेंगे। सम्भवतः ऐसे शिक्षक स्वयं अपने, गुरुकुल आरम्भ करेंगे और समाज में नाम और यश कमाएंगे। जो आलसी और मंद होंगे वे पाँच सौ रुपये प्रतिमाह तक भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि कोई भी गाँव या स्कूल उन्हें नियुक्त करना नहीं चाहेगा। बहुत सारे गाँव व शहर अपने बच्चों की शिक्षा को बहुत अधिक प्राथमिकता देंगे और अच्छी शिक्षा के लिए कुछ भी खर्च करने को तैयार रहेंगे। इस तरह व्यावहारिक और फलप्रदायी शिक्षा पर उनका बल रहेगा। कला तथा वाणिज्य के महाविद्यालय के लिए, जो छात्रों को मात्र यह सिखाते हैं कि विदेशी कम्पनियों के लाभ के लिए देश का किस प्रकार शोषण किया जाये, कोई स्थान नहीं रहेगा। अध्यापकों का वेतन परिणाम के ऊपर निर्भर करेगा। ग्रामीण व साधारणजन अपनी कुशलता व विचार रखते हैं। उन्हें बिना सरकारी दखलंदाजी अपने मामलों का प्रबंधन करने की सम्पूर्ण स्वतंत्रता होगी। अतः कोई भी अध्यापक कानूनी रूप से स्थायी नहीं होगा। परन्तु अच्छे अध्यापक नैतिक रूप से स्थायी से कहीं ज्यादा होंगे। अतः शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्वस्थ वातावरण होगा।
आई.ए.एस.अधिकारी :– इन्हीं लोगों का वास्तविक नुकसान होगा। इन लोगों ने सम्पूर्ण देश को एक गुलाम की तरह लौह जबड़ों में जकड़ रखा है। इन्होंने सम्पूर्ण शासन व सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का केन्द्रीकरण किया है। और सम्पूर्ण देश का शोषण किया है। इन लोगों ने सम्पूर्ण देश का कुप्रबंधन किया है। इन लोगों द्वारा सृजित केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था ही देश भर में गरीबी और बेरोजगारी फैलाने के लिए जिम्मेदार है। इन लोगों ने सौ करोड़ जनता को विभिन्न भयावह कानूनों में बाँध रखा है। इन लोगों ने सम्पूर्ण देश को बर्बाद कर दिया है। इन लोगों ने हमारे देश को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का गुलाम बना दिया है। प्रशासन और अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षति और अहित के लिए आई, ए.एस अधिकारी वर्ग पूर्णतः जिम्मेदार है। गाँधीजी ने इन लोगों को 'गोल्डेन गैंग' स्वर्णिम गंग की संज्ञा दी थी। वास्तविक स्वराज आई. ए. एस. अधिकारियों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। परन्तु इन आई. ए. एस. अधिकारियों में राष्ट्र भक्त अधिकारियों का एक छोटा सा वर्ग है। ये भारत माता के वास्तविक और उपयोगी सेवक बनेंगे। वे लोग जनता की सत्ता को स्वीकार करेंगे और जनता की इच्छा के अधीन कार्य करना सहर्ष स्वीकार करेंगे। वे वेतन में होने वाली अधिक हानि से चिंतित नहीं होंगे। वे अपनी राष्ट्रभक्ति युक्त विवेक को

जनता की सेवा में लगाएंगे परन्तु सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करने का बृहत्तर अधिकार चला जाएगा।

सरकारी कर्मचारी :— वास्तविक स्वराज में सरकारी कर्मचारियों की बृहद् सेना की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः उन्हें वैकल्पिक रोजगार या नौकरियों की तलाश करनी होगी जिनका कुटीर व गृह उद्योगों में पर्याप्त अवसर रहेगा। ज्यादातर सरकारी पदों के पास जनता को उत्पीड़ित करने की शक्ति रहती है अतः प्रचुर मात्रा में भ्रष्टाचार व अनेकों प्रकार के दुरुपयोग चल रहे हैं। यह सब सार्वजनिक जीवन से पूर्णतः गायब हो जाएगा। ज्यादातर शक्तियाँ ग्राम में निहित होंगी और उन्हें अधिक सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि ग्राम को उनकी आवश्यकता होगी तो उन्हें ग्रामवासियों के इच्छानुरूप उन्हीं के निर्देशन व नियन्त्रण में कार्य करना होगा। स्वभावतः उन्हें बड़े वेतन नहीं दिए जाएंगे। अतः उन्हें रोजगार के ज्यादा अवसर नहीं होंगे। इस तरह उनके पास मात्र यह विकल्प रहेगा कि वे किसी रचनात्मक गृह उद्योग द्वारा अपना जीविकोपार्जन करें। इस संविधान के लागू होने वाले दिन से ही लाखों सरकारी कर्मचारी अनावश्यक हो जाएंगे और लोग इनके दमन, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएंगे। यह जनसामान्य के लिए वास्तविक स्वराज होगा। यही स्थिति निगमों व सरकार से सम्बद्ध संगठनों के कर्मचारियों की भी होगी।

(8) कानूनी व्यवसाय :— फौजदारी तथा दीवानी मुकदमों से लाखों कमाने वाले बड़े सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ताओं का व्यवसाय लगभग पूर्णतः बंद हो जायेगा और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग ढूँढ़ना पड़ेगा। चूँकि शक्ति का विकेन्द्रीकरण ग्राम स्तर तक हो जायेगा, तो न्यायालयी विवाद जन्म ही नहीं लंगे। और यदि उठ गए तो वे ग्राम्य स्तर पर या अधिकतम ताल्लुका स्तर पर ही सुलझा लिये जाएंगे। अत्यल्प मामले ही जिला, राज्य या केन्द्र तक पहुँचेंगे। परन्तु न्यायाधीशों के पास मात्र अपने अन्तर्मन के अनुसार तथ्य मात्र को देखते हुए बिना कानून को देखे निर्णय देने का पूर्ण विवेकाधिकार है। कानूनी अधिवक्ता व कानूनी पेचीदगियाँ इस कार्य में पूर्णतः संदर्भहीन हो जाएंगी, अतः सारे अधिवक्ता बेकार व उपयोगहीन हो जाएंगे। अतः उन लोगों को जीविकोपार्जन के किसी वैकल्पिक स्रोत का सहारा लेना होगा। उनके लिए भी कोई कुटीर उद्योग या कुटीर उद्योग आधारित व्यावसायिक क्रिया—कलापों को अपनाकर ईमान की कमाई करना ही सर्वोत्तम मार्ग है, पाप कर लाखों रुपये कमाने की बजाय यही कुछ हद तक न्यायाधीशों पर भी लागू होगा। परन्तु सरल हृदय न्यायाधीश नई न्याय व्यवस्था में लोगों द्वारा स्वीकार किये जाएंगे। और उन्हें जिला न्याय समितियों राज्य—न्याय परिषदों व न्याय सभा में सम्मानजनक पद दिया जायेगा।

(9) राजनीतिज्ञ :— यह वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। ज्यादातर राजनीतिज्ञ पापी हैं। वे अपने पद के योग्य नहीं हैं। वे अपने मिथ्या स्वर्ग को खोकर सामान्य, मूल्यहीन जन हो जाएंगे। ये लोग हमारे देश की बरबादी व उसकी जीर्ण—शीर्ण परिस्थिति के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। अतः उनके लिए कोई दो आँसू भी नहीं रोयेगा। राजनीति में कार्यरत कुछेक वास्तविक रूप से राष्ट्रभक्त लोग नई परिस्थिति को हृदय से स्वीकार करेंगे व और अधिक उत्साह व हर्ष के साथ कार्य करेंगे क्योंकि उनके समर्पणपूर्ण कार्य वास्तविक स्वराज में और उभर कर आएंगे।

10) भारतीय संस्कृति :— मांस व मांस उत्पादों का निर्यात् तत्काल प्रतिबंधित होगा। गोहत्या पर भी तत्काल पूर्ण प्रतिबन्ध लगेगा। अधिकांश गाँव, नगरों व शहरों द्वारा नशाबन्दी लागू की जाएगी। क्रिकेट प्रतिबन्धित होगा। दूरदर्शन, सिनेमा या सार्वजनिक स्थलों में एक भी भद्दा व अश्लील विज्ञापन या दृश्य नहीं होगा। सिगरेट या शराब से सम्बन्धित कोई भी विज्ञापन कहीं भी नहीं दिखेगा। हरेक चीज का इस संविधानानुसार अनिवार्य रूप से अनुपालन होगा। इस तरह सम्पूर्ण प्रशासन व सार्वजनिक जीवन वास्तविक भारतीय संस्कृति को प्रतिबिम्बित करेगा।

11) आतंकवाद :— आत्मरक्षा के लिए मुक्त आग्नेयास्त्राधिकार जिस समय लागू होगा उसके कुछ दिनोंपरान्त ही आतंकवाद बीते कल की बात हो जाएगी। लोगों के पास आत्मरक्षार्थ रिवाल्वर व पिस्तौल इत्यादि होंगे, और जैसे ही उनका किसी आतंकवादी से सामना होगा वे उसे मार डालेंगे। अतः कोई भी

आतंकवादी लोगों से बच नहीं पाएगा। इस तरह आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। परन्तु ये तथाकथित आतंकवादी वास्तव में बड़ी समस्या नहीं हैं क्योंकि लोग उन्हें मार सकते हैं। असली वृहद् आतंकवाद तो सरकार की तरफ से ही है। प्रत्येक सरकारी कार्यालय आतंकवाद का केन्द्र है। अतः लोगों को सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि सरकारी कर्मचारियों को लोगों के उत्पीड़न करने के अधिकार से वंचित कर यह संविधान स्वतः ही सरकार प्रायोजित इन सरकारी कार्यालयों रूपी आतंकवाद के केन्द्रों को उन्मूलन कर देगा।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि, इस संविधान को लागू करने पर 95 % से अधिक लोग लाभान्वित होंगे व सम्पूर्ण राष्ट्र वास्तविक स्वराज का आनंद ले सकेगा। निहित स्वार्थ रखने वाला समाज का एक छोटा सा अंश ही कुछ नुकसान उठाएगा। अतः वास्तव में यह संविधान हमारे राजनैतिक व सार्वजनिक जीवन से लगभग सम्पूर्ण गन्दगियों को मिटाएगा व वास्तविक स्वराज को ले आएगा—एक असली पार्टीविहीन व भागीदारी पूर्ण लोकतन्त्र। इस तरह वास्तविक अर्थों में सरकार जनता की, जनता के लिए व जनता द्वारा होगी।

राजकोट वेलजी भाई देसाई

1 जून 2003